

'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण मानक(एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) /धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र

प्रयोजन

बैंकों से कहा गया था कि वे ग्राहकों के खाते खोलने और संदेहास्पद लेनदेन पर नजर रखने के लिए ग्राहकों की पहचान के मामले में एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करें ताकि संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट उपयुक्त प्राधिकारियों को दी जा सके। धन शोधन निवारण मानदंडों और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए "वित्तीय कार्रवाई दल" (एफएटीएफ) द्वारा दी गयी सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इन "अपने ग्राहक को जानिए" दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। एफएटीएफ की सिफारिशों के आधार पर और बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति द्वारा बैंकों को ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी (सीडीडी) बरतने के मामले में जारी किये गये पेपर के आधार पर जहां भी आवश्यक समझा गया है वहां संकेतात्मक सुझावों के साथ, व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि "अपने ग्राहक को जानिए" और धन शोधन निवारण के मामले में अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से उपयुक्त नीति बनाई और लागू की जाती है।

2. इस मास्टर परिपत्र का उद्देश्य "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) मानदंडों/धनशोधन निवारण मानकों (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) /धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित करना है। इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (<http://www.rbi.org.in>) पर प्रदर्शित किया गया है।

पिछले अनुदेश

इस संबंध में जारी परिपत्रों की सूची अनुबंध VII में दी गयी है।

प्रयोज्यता

- i) मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेश सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/सीसीबी) पर लागू हैं।
- ii) ये दिशानिर्देश बैंकारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए तथा धनशोधन निवारण (अभिलेख का रखरखाव) नियमावली, 2005 के नियम 7 के अंतर्गत जारी किये गये हैं। इन दिशानिर्देशों का किसी भी रूप में उल्लंघन अथवा अनुपालन न किया जाना बैंकारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगा।
- iii) यह मास्टर परिपत्र 30 जून 2014 तक इस विषय पर जारी सभी परिपत्रों को समेकित करता है।

विषय-सूची

1	प्रस्तावना
1.1	केवाईसी / एएमएल / सीएफटी / पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
1.2	ग्राहक की परिभाषा
2	दिशानिर्देश
2.1	सामान्य
2.2	'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) संबंधी नीति
2.3	ग्राहक स्वीकरण नीति (सीएपी)
2.4	ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सीआइपी)
2.5	ग्राहक पहचान संबंधी अपेक्षाएं - सांकेतिक दिशानिर्देश
2.6	छोटे खाते
2.7	बैंक खातों का परिचालन तथा धनशोधन का माध्यम बने व्यक्ति
2.8	लेनदेनों की निगरानी
2.9	खाते बंद करना
2.10	जोखिम प्रबंधन
2.11	नयी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग - क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ स्मार्ट कार्ड/ गिफ्ट कार्ड
2.12	सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 'सममूल्य पर' चेक सुविधा दी गई।
2.13	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
2.14	वित्तीय कार्रवाई दल (एफएटीएफ) की सिफारिशों को लागू न करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले अधिकार क्षेत्र (देश)
2.15	संपर्ककर्ता बैंकिंग (करैस्पांडेंट बैंकिंग)
2.16	वायर अंतरण
2.17	प्रधान अधिकारी
2.18	नामित निदेशक
2.19	लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव / परिरक्षण की जानेवाली सूचना / रिकार्डों का परिरक्षण और रखरखाव / वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (ए एफ आईयू -एनडी) को नकदी और संदिग्ध लेनदेनों की रिपोर्टिंग
2.20	ग्राहक शिक्षण / कर्मचारियों का प्रशिक्षण / कर्मचारियों की भर्ती

अनुबंध I	खाते खोलने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की संकेतक सूची
अनुबंध II	रिपोर्टिंग फार्मों की सूची
अनुबंध III	27 अगस्त 2009 का विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) आदेश
अनुबंध IV	भारत सरकार अधिसूचना दिनांक 16 दिसंबर 2010
अनुबंध V	ई - केवाईसी प्रक्रिया में बैंकों द्वारा अपनाई जानेवाली परिचालनात्मक क्रियाविधि
अनुबंध VI	विदेशी निवेशकों का श्रेणीकरण और पीआईएस के अंतर्गत पात्र एफपीआई हेतु केवाईसी दस्तावेज
अनुबंध VII	मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

1.1 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण मानक(एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) /धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व

"अपने ग्राहक को जानिए"/ धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी दिशानिर्देशों का उद्देश्य धन शोधन अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों के लिए अपराधी तत्वों द्वारा, जानबूझकर या अनजाने ही, बैंकों का इस्तेमाल किए जाने से रोकना है। "अपने ग्राहक को जानिए" क्रियाविधि से बैंकों को अपने ग्राहकों तथा उनके वित्तीय लेन-देन को जानने /समझने का बेहतर अवसर मिलता है जिससे बैंकों को अपने जोखिमों का प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से करने में मदद मिलती है ।

1.2 ग्राहक की परिभाषा

"अपने ग्राहक को जानिए" नीति के प्रयोजन हेतु "ग्राहक" की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी है:

- कोई व्यक्ति या संस्था जो खाता खोलता/खोलती है और/या जिसका बैंक के साथ कारोबारी संबंध है;
- कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसकी ओर से खाता खोला जाता है (अर्थात् हितार्थी स्वामी);
- व्यावसायिक मध्यस्थों, जैसे स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सॉलीसिटर इत्यादि, द्वारा (जैसा कि कानून द्वारा अनुमत हो) किये गये लेन-देन के हिताधिकारी; और
- प्रतिष्ठा संबंधी या किसी अन्य बड़े जोखिम के साथ ऐसे किसी वित्तीय लेनदेन के साथ जुड़ा कोई व्यक्ति या संस्था - जैसे एक लेन-देन से रूप में तार अंतरण या उच्च मूल्य का मांग ड्राफ्ट का निर्गमन।

2. दिशानिर्देश

2.1 सामान्य

- (i) (क) बैंकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि खाता खोलने के लिए ग्राहकों से एकत्र की गयी सूचना को गोपनीय समझा जाता है और सेवाओं के प्रति-विक्रय या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे

विवरण दूसरों को प्रकट नहीं किया जाता है। अतः बैंक यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों से मांगी गयी सूचना संभावित जोखिम से संबद्ध / के अनुरूप हो, वे कोई ऐसी सूचना न मांगें जो अनावश्यक दखलंदाजी से संबन्धित हो, तथा ऐसी सूचना इस संबंध में जारी किए गये दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

(ख) रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह बात आयी है कि बैंक ग्राहकों से व्यक्तिगत जानकारी/ब्यौरे मांगते हैं जैसे आश्रितों की संख्या, पुत्र एवं पुत्री के नाम, जीवनमान, पिछले तीन वर्षों में की गई विदेश यात्रा की संख्या, विदेश में बसे पारिवारिक सदस्यों/रिश्तेदारों के ब्यौरे, आस्तियां एवं देयताएं, पति/पत्नी का नाम तथा जन्म तिथि, विवाह की तारीख, निवेश आदि, जो कि अनिवार्य नहीं है तथा खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान अथवा समय-समय पर जानकारी को अद्यतन बनाते समय केवाईसी/एएमएल का पालन करते समय ग्राहक के संभाव्य जोखिम को देखने से संगत है। बैंकों को खाता खोलने/जानकारी के अपडेशन के समय केवल केवाईसी प्रयोजन के लिए केवल "अनिवार्य" जानकारी ही प्राप्त करनी चाहिए। ग्राहक के अन्य वैकल्पिक ब्यौरे/अतिरिक्त जानकारी यदि आवश्यक हो तो केवल ग्राहक की सुस्पष्ट सहमति से ही खाता खोले जाने के बाद अलग से प्राप्त की जाए। ग्राहक को यह जानने का हक है कि केवाईसी के लिए कौन सी जानकारी जरूरी है जो अनिवार्यतः उन्हें देनी ही होगी तथा बैंक द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी क्या है जो कि वैकल्पिक है। ग्राहक से ली गई अनिवार्य तथा वैकल्पिक दोनों ही जानकारी गोपनीय मानी चाहिए।

(ii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पचास हजार रुपये या उससे अधिक मूल्य के मांग ड्राफ्ट /तार अंतरण या किसी अन्य प्रकार से निधियों का विप्रेषण और यात्री चेक जारी करना, ग्राहक के खाते में डेबिट करके या चेक के आधार पर किया जाता है और न कि नकद भुगतान पर।

(iii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां कहीं भी लागू हो, वहां विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाये ।

2.2 "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी नीति

बैंकों को "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी नीतियां बनाते समय निम्नलिखित चार प्रमुख तत्वों को शामिल करना चाहिए :

- (क) ग्राहक स्वीकरण नीति;
- (ख) ग्राहक पहचान क्रियाविधि;
- (ग) लेनदेनों की मॉनीटरिंग; और
- (घ) जोखिम प्रबंधन

2.3 ग्राहक स्वीकरण नीति (सी ए पी)

(क) बैंकों को ग्राहकों को स्वीकार करने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करके एक स्पष्ट ग्राहक स्वीकरण नीति तैयार करनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक स्वीकरण नीति में बैंक में ग्राहक-संबंध के निम्नलिखित पहलुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश लागू कर दिये गये हैं।

- (i) कोई भी खाता अज्ञात नाम / छद्मनाम से या फर्जी /बेनामी नामों से न खोला जाए;
- (ii) कारोबार के स्वरूप, ग्राहक के स्थान, भुगतान के तरीके, टर्न ओवर की मात्रा, ग्राहक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इत्यादि के अनुसार जोखिम निर्धारण संबंधी मानदंड स्पष्टतः निश्चित कर दिए जाने चाहिए ताकि ग्राहकों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणियों (बैंक अन्य उपयुक्त नाम भी चुन सकते हैं - जैसे स्तर I, स्तर II और स्तर III) में विभाजित किया जा सके; जिन ग्राहकों के लिए बहुत उच्च स्तर की मॉनीटरिंग जरूरी है - जैसे पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन को आवश्यकता पड़ने पर और उच्चतर श्रेणी में रखा जा सकता है;
- (iii) संभावित जोखिम के आधार पर और धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम, 2002 की अपेक्षाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के मामले में दस्तावेजों संबंधी अपेक्षाएं तथा एकत्र की जाने वाली अन्य सूचना;
- (iv) जिन मामलों में बैंक ग्राहकों के संबंध में उचित सावधानी संबंधी उपाय लागू न कर पायें, अर्थात्, जिन मामलों में ग्राहक के असहयोग के कारण या बैंक को उपलब्ध कराये गए आंकड़ों / सूचना की अविश्वसनीयता के कारण जोखिम की श्रेणी के अनुसार बैंक ग्राहक की पहचान का सत्यापन कर सकने में असमर्थ हो, उन मामलों में कोई खाता न खोलना या मौजूदा खाता बंद कर देना। तथापि, यह जरूरी है कि इस मामले में सुरक्षा की पूर्व निश्चित व्यवस्था विद्यमान हो ताकि किसी ग्राहक को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। उदाहरण के लिए किसी ग्राहक को, उसका खाता बंद करने

के निर्णय का कारण बताते हुए उसे उचित नोटिस देने के बाद ही, काफी उच्च स्तर पर खाता बंद करने का निर्णय लिया जाना चाहिए;

(v) जिन परिस्थितियों में किसी ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति / संस्था की ओर से काम करने की अनुमति दी जाए उनके बारे में, स्थापित बैंकिंग विधि और व्यवहार के अनुरूप स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अवसर आ सकते हैं जब किसी आदेश-धारक (मैन्डेट होल्डर) द्वारा कोई खाता परिचालित किया जाए या किसी मध्यस्थ द्वारा न्यासीय क्षमता में /हैसियत से खाता खोला जाए; और

(vi) कोई नया खाता खोलने से पहले आवश्यक जांच-पड़ताल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई ग्राहक किसी ऐसे व्यक्ति से न मिलता-जुलता हो जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो जैसे व्यक्तिगत आतंकवादी या आतंकवादी संगठन इत्यादि।

(ख) बैंक जोखिम की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक नये ग्राहक के लिए एक प्रोफाइल तैयार करें। ग्राहक के प्रोफाइल में ग्राहक की पहचान, उसकी सामाजिक /आर्थिक हैसियत, उसके कारोबार का स्वरूप, उसके ग्राहकों के कारोबार तथा स्थान से संबंधित सूचना शामिल की जानी चाहिए। उचित सावधानी का स्वरूप और उसकी सीमा बैंक द्वारा अनुमानित जोखिम पर निर्भर होगी ।

(ग) जोखिम वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, उन व्यक्तियों (उच्च निवल मूल्य वालों को छोड़कर) और कंपनियों को, जिनके संबंध में पहचान तथा संपत्ति के स्रोतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है और जिनके खातों के लेनदेन कुल मिलाकर ज्ञात प्रोफाइल के अनुरूप हैं, कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत करें। कम जोखिम वाले उदाहरण स्वरूप ग्राहक हैं ऐसे वैतनिक कर्मचारी जिनके वेतन का ढांचा सुपरिभाषित है; समाज के निम्न आर्थिक स्तर वाले लोग जिनके खातों में छोटी शेष राशियाँ और कम लेनदेन होता है; सरकारी विभाग एवं सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियाँ, विनियामक और सांविधिक निकाय आदि। ऐसे मामलों में, केवल पहचान और ग्राहक के पते का सत्यापन करने की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना नीतिगत अनिवार्यता हो। जो ग्राहक बैंक के लिए औसत से उच्चतर जोखिम पैदा करने की संभावना रखते हैं उन्हें मध्यम अथवा उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाए जो ग्राहक की पृष्ठभूमि, कार्यकलाप का स्वरूप और स्थान, मूल देश, निधियों के स्रोत और ग्राहक के प्रोफाइल आदि पर निर्भर होगा। बैंक जोखिम मूल्यांकन पर आधारित 'उचित सावधानी'

बरतने के अधिक उपाय करें, जिसमें यह अपेक्षित होगा कि विशेषकर जिनके निधियों के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं ऐसे उच्चतर जोखिम ग्राहकों के लिए गहन 'उचित सावधानी' लागू की जाए। उच्चतर सावधानी की आवश्यकता वाले ग्राहकों में निम्नलिखित शामिल हैं; (क) अनिवासी ग्राहक, (ख) उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति, (ग) न्यास, धर्मादाय, गैर-सरकारी संगठन और दान राशियां प्राप्त करने वाले संगठन, (घ) ऐसी कंपनियां जिनमें निकट परिवार में शेरधारिता अथवा हितार्थी स्वामित्व है, (ङ) 'निष्क्रिय साझेदार' वाले फर्म, (च) विदेशी मूल के पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (पी ई पी), (छ) अप्रत्यक्ष (नॉन फेस टू फेस) ग्राहक, (ज) उपलब्ध सार्वजनिक सूचना के अनुसार धोखेबाज़ के रूप में बदनाम ग्राहक, आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा उसकी एजेन्सियों द्वारा प्रवर्तित एनपीओ/ एनजीओ को कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(घ) यह बात ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ग्राहक स्वीकरण नीति को अपनाना एवं उसका कार्यान्वयन अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होना चाहिए और इसका परिणाम सामान्य जनता, विशेषकर वित्तीय और सामाजिक तौर पर प्रतिकूल परिस्थिति वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं नकारने में नहीं होना चाहिए।

2.4 ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सीआइपी)

(क) बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित उक्त नीति में विभिन्न स्तरों पर, अर्थात् बैंकिंग संबंध स्थापित करते समय, वित्तीय लेनदेन करते समय अथवा यदि पहले प्राप्त की गई ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता /सत्यता अथवा पर्याप्तता के बारे में बैंक को कोई संदेह हो तो उस समय, की जाने वाली ग्राहकों को पहचानने की क्रियाविधि की सुस्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। ग्राहक की पहचान से तात्पर्य ग्राहक को अभिनिर्धारित करना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत दस्तावेजों, डेटा या सूचना द्वारा उनका सत्यापन करना। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक नये ग्राहक, चाहे वह नियमित हो या कभी-कदा आने वाला हो, का अभिनिर्धारण अपनी संतुष्टि होने तक करने हेतु आवश्यक पर्याप्त जानकारी और उसके बैंकिंग संबंध के अभिप्रेत स्वरूप के प्रयोजन की जानकारी प्राप्त करें। संतुष्टि होने का अर्थ यह है कि संबंधित बैंक सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करा सकता है कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में ग्राहक के संबंध में जोखिम के स्वरूप पर

आधारित उचित सावधानी बरती गई है। इस प्रकार का जोखिम आधारित दृष्टिकोण बैंकों के अनावश्यक खर्च से बचने तथा ग्राहकों की दृष्टि से बोझिल व्यवस्था को टालने के लिए आवश्यक है। जोखिम निर्धारण के अलावा, आवश्यक सूचना/दस्तावेजों का स्वरूप भी ग्राहक के प्रकार (वैयक्तिक, कंपनी आदि) पर निर्भर होगा। बैंकों को चाहिए कि वे जो ग्राहक 'नेचुरल' व्यक्ति हैं उनकी पहचान उनका पता / स्थान सत्यापित करने के लिए उनसे पर्याप्त अभिनिर्धारण डेटा तथा उनका हाल ही का फोटोग्राफ भी प्राप्त करें। जो ग्राहक विधिक व्यक्ति अथवा संस्थाएँ हैं, उनके लिए बैंक को चाहिए कि वे (i) उचित एवं संगत दस्तावेजों के माध्यम से उक्त विधिक व्यक्ति /संस्था के विधिक दर्जे का सत्यापन करें, (ii) विधिक व्यक्ति /संस्था की ओर से कार्य करने का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में यह सत्यापित करें कि उसे इसके लिए प्राधिकृत किया गया है, और उस व्यक्ति विशेष की पहचान को सत्यापित किया जाए, (iii) ग्राहक का स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझें और अंततः विधिक व्यक्ति का नियंत्रण करने वाले 'नेचुरल' व्यक्तियों को निर्धारित करें। बैंकों के मार्गदर्शन के लिए कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में ग्राहक पहचान अपेक्षाएँ, विशेषकर ऐसे विधिक व्यक्ति के संबंध में जिनके लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है, **नीचे पैरा 2.5 (iii) में** दी गयी हैं । तथापि, बैंक ऐसे व्यक्तियों /संस्थाओं के साथ व्यवहार संबंधी अपने अनुभव, सामान्य बैंकों के विवेक तथा स्थापित प्रथाओं के अनुसार विधिक आवश्यकताओं के आधार पर अपने आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करें। यदि बैंक ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसरण में ऐसे खातों को स्वीकार करने का निर्णय लेता है तो संबंधित बैंक को चाहिए कि वह हितार्थी स्वामी /स्वामियों को अभिनिर्धारित करने हेतु समुचित कदम उठाए और उसकी /उनकी पहचान इस प्रकार करें कि वह हितार्थी स्वामी कौन हैं इस बारे में आश्वस्त हो जाए।

(ख) यह पाया गया है कि कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को, उदाहरण के लिए, अपने पति, पिता/माता तथा पुत्र के साथ रहने वाली पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा माता-पिता आदि, को कुछ बैंकों में खाता खोलने में कठिनाई हो रही है क्योंकि पते के सत्यापन के लिए आवश्यक यूटिलिटी बिल उनके नाम पर नहीं हैं। ऐसे मामलों में बैंक भावी ग्राहक जिस रिश्तेदार के साथ रहता है उससे इस आशय का एक घोषणा पत्र कि खाता खोलने के लिए इच्छुक उक्त व्यक्ति (भावी ग्राहक) उसका रिश्तेदार है और उसके साथ रहता है तथा उसका पहचान दस्तावेज तथा यूटिलिटी बिल प्राप्त कर सकता है। पते के और अधिक सत्यापन के लिए बैंक डाक से प्राप्त पत्र जैसे अनुपूरक साक्ष्य का उपयोग कर सकता है। इस विषय पर

शाखाओं को परिचालन संबंधी अनुदेश जारी करते समय बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का भाव ध्यान में रखना चाहिए और कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों जिन्हें को होने वाली अनुचित कठिनाइयों को टालना चाहिए।

(ग) बैंकों को सूचित किया जाता है की बैंक की किसी एक शाखा द्वारा एक बार केवाईसी किए जाने पर जहां तक संबंधित खाते के लिए पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया की गई हो तो उक्त केवाईसी बैंक के भीतर खाते के अंतरण के लिए वैध होनी चाहिए। ग्राहक को अपने खाते को बिना किसी प्रतिबंध के एक शाखा से दूसरे शाखा में अंतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति का सही पता पाने की केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए, इस तरह के अंतरण के बाद अंतरिती शाखा द्वारा ग्राहक से उसके नये पते को सत्यापित करने वाले दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं।

(घ) स्थानांतरणीय नौकरीवाले अथवा नौकरी के कारण बड़ी संख्या में देशांतर करनेवाले ग्राहक पुनर्स्थापित होने के तुरंत बाद पते के प्रमाण के रूप में अपने नाम में यूटीलिटी बिल अथवा अन्य प्रलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे मामले में बैंक खाता-धारक से उसके वर्तमान पते की स्वयं-घोषणा के आधार पर पते के नए सबूतों पर बल दिए बिना मौजूदा खाते अंतरणकर्ता शाखा से अंतरिती शाखा में अंतरित कर सकते हैं, बशर्ते कि छः माह की अवधि के भीतर पते के सबूत प्रस्तुत किए जाएं।

(ङ) खाता खोलने के बाद बैंकों को ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी (फोटोग्राफ सहित) को आवधिक रूप से अद्यतन करने की एक प्रणाली भी प्रारंभ करनी चाहिए। केवाईसी की पूरी प्रक्रिया उच्च जोखिमवाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए कम से कम हर दो वर्षों में / न्यून जोखिम के संबंधमें पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया कम से कम हर दस वर्ष बाद तथा मध्यम जोखिम वाले व्यक्तियों एवं स्थाओं के संबंध में यह कम से कम हर आठ वर्षों बाद की जानी चाहिए। इस तरह का सत्यापन इस बात पर ध्यान दिये बिना किया जाना चाहिए कि खाते का एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरण हुआ है अथवा नहीं और बैंकों को निर्धारित विधि के अनुसार लेनदेन का रिकार्ड भी रखना होगा। मध्यम जोखिम वाले व्यक्तियों के संबंध में सकारात्मक पुष्टि (केवाईसी संबंधी अद्यतन जानकारी ई-मेल/ पत्र /टेलीफोन पर बातचीत/ फार्म/ साक्षात्कार/ विजिट आदि द्वारा) कम से कम हर दो वर्षों में तथा न्यून जोखिम

वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के संबंध में कम से कम तीन वर्षों में पूरी की जानी चाहिए। अवयस्क ग्राहक के वयस्क हो जाने पर उनसे नया फोटो जरूर लिया जाना चाहिए।

च) ग्राहक की पहचान के लिए जिस प्रकार के दस्तावेजों/सूचना को विश्वसनीय माना जा सकता है, उनकी एक निर्देशात्मक सूची इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध 1 में दी गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सूची निदर्शी मात्र है और न कि परिपूर्ण। हमारे ध्यान में यह बात लायी गई है कि बैंक पहचान और पते के प्रमाण के लिए अलग से दस्तावेज की मांग करते हैं हालांकि पहचान प्रमाण के दस्तावेजों (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि) पर संबंधित व्यक्ति का पता मौजूद रहता है। प्रत्याशित ग्राहक पर केवाईसी अपेक्षाओं को पूरा करने पड़नेवाले दबाव को कम की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि (क) यदि प्रत्याशित ग्राहक द्वारा पहचान के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों पर वही पता हो, जो उसने खाता खोलने के फॉर्म पर घोषित किया है, तो ऐसे दस्तावेज पहचान और पते, दोनों के वैध सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है; (ख) यदि खाता खोलने के फॉर्म पर घोषित पता पहचान के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लिखित पते से अलग है तो पते का अलग सबूत प्राप्त किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए पते के सबूत के रूप में राज्य सरकार अथवा उसके समान पंजीकरण प्राधिकारी के पास विधिवत् पंजीकृत ग्राहक का पता दर्शाने वाला किराए के करार को भी स्वीकार किया जा सकता है; (ग) ग्राहक बैंक खाता खोलते समय अथवा आवधिक अद्यतनीकरण के समय पते (वर्तमान या स्थायी) का केवल एक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि पते के सबूत में उल्लिखित पते में बदलाव हो जाता है तो छः माह के भीतर शाखा को पते का नया प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। (घ) यदि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत पते का प्रमाण स्थानीय न हो अथवा उस पते का जहां ग्राहक वर्तमान में रहता है का न हो तो बैंक स्थानीय पते जिस पर बैंक द्वारा ग्राहक के साथ सभी पत्राचार किया जाएगा उसकी घोषणा ले सकता है। पत्राचार / स्थानीय पते के लिए ऐसे पते का कोई प्रमाण अपेक्षित नहीं है। बैंक उक्त पते का सत्यापन i) पत्र, चेक बुक, एटीएम कार्ड की प्राप्ति सूचना; ii) टेलीफोन पर बातचीत; iii) विजिट आदि के जरिए करें। नया खाता खोलते समय अथवा केवाईसी डाटा के आवधिक अद्यतनीकरण के समय इस आशय का वचन लिया जाना चाहिए।

(छ) अनुबंध 1 में उल्लिखित स्थायी सही पता का तात्पर्य उस पते से हैं जिस पर कोई व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है और ग्राहक के पते के सत्यापन के लिए किसी युटिलिटी बिल या ग्राहक के पते के

सत्यापन के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत किसी अन्य दस्तावेज में उल्लिखित पते को स्थायी सही पता माना जा सकता है।

(ज) केवाईसी प्रयोजनों के लिए आधार पत्र को स्वीकार करना

- (i) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण - (यूआईडीएआई) ने रिज़र्व बैंक को सूचित किया है कि बैंक खाता खोलने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में उनके द्वारा जारी आधार पत्र को स्वीकार करते हैं परंतु पते के प्रमाण के रूप में नहीं यदि खाताधारक द्वारा उपलब्ध कराया गया पता आधार पत्र पर दिए गए पते के समान है, तो उसे पहचान और पता, दोनों के सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
- (ii) पहचान में धोखाधड़ी, प्रलेखों की जालसाजी के जोखिम को कम करने और केवाईसी का गैर कागजी (पेपरलेस) सत्यापन अपनाने की दृष्टि से यूआईडीएआई ने ई-केवाईसी सेवा शुरू की है। तदनुसार, धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियमावली, 2005 के अंतर्गत केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में ई-केवाईसी सेवा स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, ई-केवाईसी प्रक्रिया के परिणाम के रूप में यूआईडीएआई से उपलब्ध कराए गए जन-सांख्यिकीय विवरण और फोटोग्राफ वाली सूचना (जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है और बाद में संदर्भ के लिए उपयोग हेतु सुलभ है) को पीएमएल नियमावली के अंतर्गत 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' माना जाए। यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवा का प्रयोग करते समय व्यक्तिगत उपयोगकर्ता सुस्पष्ट सहमति से यूआईडीएआई को अपनी पहचान जारी करने के लिए बैंक शाखा/बीसी को बायोमीट्रिक प्राधिकार के माध्यम से अधिकार प्रदान करना होगा। यूआईडीएआई उसके बाद व्यक्ति का डाटा बैंक/बीसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित करता है जिसमें नाम, आयु, लिंग तथा व्यक्ति का फोटो शामिल रहता है जिसे केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाए। आधार ई-केवाईसी सेवा पर बैंकों को जारी व्यापक परिचालनात्मक अनुदेश अनुबंध V के रूप में संलग्न है।
- (iii) बैंक यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ई-आधार को निम्नलिखित के अधीन आधिकारिक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं:

- यदि भावी ग्राहक केवल अपनी आधार संख्या जानता /जानती है, तो बैंक भावी ग्राहक के ई-आधार पत्र को बैंक में ही यूआईडीएआई पोर्टल से सीधे मुद्रित कर सकता है; या उपर्युक्त पैरा (ख) में संदर्भित परिपत्र में दिए गए अनुसार ई-केवायसी प्रक्रिया अपना सकता है।
- यदि प्रत्याशित ग्राहक के पास ई-आधार की कहीं और से डाउनलोड की गयी प्रति है तो बैंक, ई-आधार पत्र को बैंक में ही यूआईडीएआई पोर्टल से सीधे मुद्रित कर सकता है; या उपर्युक्त पैरा 2 में दिए गए अनुसार ई-केवायसी प्रक्रिया अपना सकता है; या यूआईडीएआई के सरल प्रमाणीकरण सेवा के माध्यम से निवासी की पहचान और पते की पुष्टि कर सकता है।

(झ) सामान्य खातों के लिए नरेगा जॉब कार्ड को केवाईसी प्रलेख के रूप में स्वीकार करना

ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को असुविधा न हो इस दृष्टि से बैंक नरेगा जॉब कार्ड को 'छोटे खातों' पर लागू सीमितताओं के बिना बैंक खाते खोलने के लिए एक 'आधिकारिक वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार करता है।

(ञ) खाता खोलने के लिए 'परिचय देना' अनिवार्य नहीं

पहचान के प्रलेख आधारित सत्यापन प्रणाली के कार्यान्वयन के पूर्व बैंक के किसी विद्यमान ग्राहक द्वारा परिचय बैंक खाते खोलने के लिए आवश्यक माना जाता था। अधिकांश बैंकों में, हालांकि हमारे अनुदेशों के अंतर्गत अपेक्षित पहचान एवं पते के प्रलेख उपलब्ध कराए गए हैं, फिर भी, खाता खोलने के लिए 'परिचय' ग्राहक स्वीकरण नीति का एक अनिवार्य भाग बना हुआ है। इससे संभाव्य ग्राहकों को खाते खोलने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके लिए विद्यमान खाताधारी से परिचय प्राप्त करना मुश्किल होता है। चूंकि पीएमएल अधिनियम तथा नियमावली अथवा रिजर्व बैंक के अद्यतन केवाईसी अनुदेशों के अंतर्गत 'परिचय' अनिवार्य नहीं है अतः बैंकों को ग्राहकों के खाते खोलने के लिए 'परिचय' का आग्रह नहीं करना चाहिए।

(ट) वित्तीय लेनदेनों की बढ़ती जटिलता और मात्रा के कारण यह जरूरी हो जाता है कि ग्राहकों की बैंक के भीतर बैंकिंग प्रणाली में और वित्तीय प्रणाली में बहुविध पहचान न हो। इसे हर ग्राहक के लिए एक विशिष्ट पहचान कूट (यूसीआइसी) से बैंकों के लिए ग्राहक की पहचान करना, ली गई सुविधाओं का ट्रैक रखने, समग्र रूप से वित्तीय लेनदेनों की निगरानी करने और बैंकों को ग्राहकों के जोखिम संविभागीकरण के प्रति बेहतर दृष्टिकोण रखने में सक्षम बनाने में सहायता मिलेगी। जहां कुछ बैंक अपने ग्राहकों को

रिलेशनशिप संख्या आदि प्रदान करते हुए पहले ही ग्राहकों के लिए यूसीआईसी का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं अन्य बैंकों ने यह प्रथा नहीं अपनायी है। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रारंभ में, व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए किसी नए रिलेशनशिप का प्रारंभ करते समय अपने सभी ग्राहकों के लिए यूसीआईसी आबंटित करें। इसी प्रकार, वर्तमान व्यक्तिगत ग्राहकों को भी यूसीआईसी आबंटित की जाए।

2.5 ग्राहक पहचान संबंधी अपेक्षाएं - सांकेतिक दिशानिर्देश

(i) न्यास/ नामिती अथवा न्यासी खाते

यह संभावना हो सकती है कि न्यास /नामिती अथवा न्यासी खातों का, ग्राहक पहचान क्रियाविधियों से बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। बैंकों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या ग्राहक न्यासी /नामिती अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है। यदि ऐसा है तो बैंक को उन ग्राहकों से, उन मध्यवर्तियों अथवा व्यक्तियों जिनकी ओर से वे काम कर रहे हैं, की पहचान का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए तथा न्यास के स्वरूप तथा अन्य निर्धारित व्यवस्थाओं के ब्यौरे भी प्राप्त करना चाहिए। किसी न्यास के लिए खाता खोलते समय, बैंकों को न्यासियों तथा न्यास के अवस्थापकों (जिनमें न्यास में आस्तियां लगाने वाला कोई व्यक्ति शामिल है), अनुदान देनेवालों, संरक्षकों, हिताधिकारियों तथा- हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने की उचित सावधानी बरतनी चाहिए। हिताधिकारियों को निश्चित किए जाने पर उनकी पहचान कर ली जानी चाहिए। फाउंडेशन के मामले में, यदि संस्थापक प्रबंधकों /निदेशकों तथा हिताधिकारियों को निश्चित किया गया हो तो उनका सत्यापन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

(ii) कंपनियों तथा फर्मों के खाते

बैंकों को व्यक्तियों द्वारा बैंकों में खाते रखने के लिए बिजनेस कंपनियों का एक 'फ्रंट' के रूप में उपयोग करने के मामले में सतर्क रहना आवश्यक है। बैंकों को कंपनी के नियंत्रक ढांचे की जांच करनी होगी, निधियों के स्रोत का पता करना होगा तथा उन नेचुरल व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जिनका नियंत्रक हित है और जो प्रबंध तंत्र का एक हिस्सा हैं। इन अपेक्षाओं को जोखिम बोध के अनुसार कम-अधिक किया जा सकता है-उदाहरण के लिए, सार्वजनिक कंपनी के मामले में सभी शेयरधारकों को पहचानना आवश्यक नहीं होगा।

(iii) व्यावसायिक बिचौलियों द्वारा खोले गये ग्राहक खाते

जब किसी बैंक को यह पता है अथवा ऐसा विश्वास करने का कारण है कि व्यावसायिक मध्यवर्ती द्वारा खोला गया ग्राहक खाता किसी एकल ग्राहक के लिए है तो उस ग्राहक की पहचान कर ली जानी चाहिए। बैंकों के पास म्युच्युअल निधियों, पेन्शन निधियों अथवा अन्य प्रकार की निधियों जैसी संस्थाओं की ओर से व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते हो सकते हैं। बैंकों में विविध प्रकार के ग्राहकों के लिए 'ऑन डिपाज़िट' अथवा 'इन एस्करो' धारित निधियों के लिए वकीलों /चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अथवा स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते भी होते हैं। जहां मध्यवर्तियों द्वारा धारित निधियां बैंक में एक साथ मिश्रित नहीं होती हैं और बैंक में 'उप-खाते' भी हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी एक हितार्थी स्वामी का खाता हो, वहां सभी हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी होगी। जहां ऐसी निधियों को बैंक में एक साथ मिश्रित किया गया है, वहां भी बैंक को हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी चाहिए। जहां बैंक, किसी मध्यवर्ती द्वारा की गयी 'ग्राहक संबंधी उचित सतर्कता' पर निर्भर हैं वहां उन्हें अपने को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि मध्यवर्ती नियंत्रित तथा पर्यवेक्षित है और उसने अपने यहां "अपने ग्राहक को जानिए" अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। यह समझ लेना चाहिए कि ग्राहक को जानने का अंतिम दायित्व बैंक का है।

बैंकों को वकीलों तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आदि जैसे व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा ग्राहक/ग्राहकों की ओर से खाता खोलने तथा/अथवा रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि वे ग्राहक गोपनीयता की व्यावसायिक बाध्यता के कारण खाते/निधि के स्वामी की सही पहचान प्रकट नहीं कर सकते। ऐसे किसी भी व्यावसायिक मध्यवर्ती को किसी ग्राहक की ओर से खाता खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो किसी बाध्यता से संबंध होने के कारण जिस ग्राहक की ओर से खाता रखा गया है उसकी सही पहचान अथवा खाते के लाभार्थी स्वामी की सही पहचान जानने तथा सत्यापित करने अथवा लेनदेन के सही स्वरूप तथा प्रयोजन को समझने की बैंक की क्षमता को प्रतिबंधित करता है।

'लाभार्थी स्वामी' शब्द को ऐसे स्वाभाविक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अंततः ऐसे किसी ग्राहक और/ अथवा व्यक्ति जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, का स्वामी है अथवा उसे नियंत्रित करता है और इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जो किसी न्यायिक व्यक्ति के ऊपर अंततः प्रभावी नियंत्रण रखता है। भारत सरकार ने लाभार्थी स्वामित्व के निर्धारण के लिए निम्नानुसार क्रियाविधि निर्दिष्ट की है।

ए. जहां ग्राहक व्यक्ति या न्यास से अन्य होता है वहां बैंकिंग कंपनी एवं वित्तीय संस्था, जैसा भी मामला हो, ग्राहक के लाभार्थी स्वामी का पहचान करेगा तथा निम्नलिखित जानकारी के जरिए ऐसे व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करने के लिए उचित उपाय करेगा:-

(i) नेचुरल व्यक्ति की पहचान, जो चाहे अकेले या संयुक्त रूप से अथवा एक या अधिक विधिक व्यक्ति के माध्यम से, नियंत्रक स्वामित्व हित निष्पादित करता है।

व्याख्या : जहां विधिक व्यक्ति कोई कंपनी है, वहां स्वामित्व हित पर नियंत्रण का अभिप्राय विधिक व्यक्ति के शेयर या पूंजी या लाभ के 25 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व/ पात्रता से है। जहां विधिक व्यक्ति कोई साझेदारी है, वहां उसका अभिप्राय विधिक व्यक्ति के पूंजी या लाभ के 15% से अधिक के स्वामित्व/ पात्रता से है अथवा जहां कहीं विधिक व्यक्ति कोई अनिगमित संघ या व्यष्टियों का निकाय है वहां उसका अभिप्राय विधिक व्यक्ति की संपत्ति या पूंजी या लाभ के 15% से अधिक के स्वामित्व या पात्रता से है।

(ii) ऐसे मामलों में जहां (i) के संबंध में नियंत्रक स्वामित्व हित-वाला व्यक्ति लाभार्थी स्वामी है या नहीं इस बात का संदेह हो अथवा जहां स्वामित्व हित के माध्यम से नियंत्रण रखनेवाला कोई नेचुरल व्यक्ति न हो, वहां अन्य माध्यमों से विधिक व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले नेचुरल व्यक्ति की पहचान।

व्याख्या : अन्य माध्यमों से नियंत्रण मताधिकार, करार, व्यवस्था इत्यादि के माध्यम से रखे जा सकते हैं।

(iii) जहां उपर्युक्त (i) या (ii) के अंतर्गत किसी नेचुरल व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, वहां वरिष्ठ प्रबंध पदाधिकारी का पद धारण करने वाले संबंधित नेचुरल व्यक्ति की पहचान।

बी. जहां ग्राहक कोई न्यास हो तो बैंकिंग कंपनी और वित्तीय संस्था, जो भी हो, ग्राहक के हितार्थी स्वामी की पहचान करेगी और न्यास के व्यवस्थापक, न्यासी, संरक्षक, न्यास में 15% या उससे अधिक हित रखने वाले लाभार्थी और नियंत्रण या स्वामित्व की ऋखला के माध्यम से न्यास पर मूलभूत प्रभावकारी नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य नेचुरल व्यक्ति की पहचान के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन करने के लिए उचित कदम उठाएगी।

सी. जहां ग्राहक या नियंत्रक हितधारी किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कोई कंपनी हो, अथवा ऐसी ही किसी कंपनी के बहुमत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हो, वहां ऐसी कंपनियों के किसी शेयरधारक या हितार्थी स्वामी की पहचान करना और उसकी पहचान का सत्यापन करना आवश्यक नहीं है।

(iv) भारत के बाहर रहने वाले पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (पीईपी) के खाते

पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन वे हैं जो विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य करते हैं अथवा ऐसे कार्य उन्हें सौंपे गये हैं, उदाहरण के लिए राज्यों अथवा सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सरकारी /न्यायिक/ सेना अधिकारी, राजकीय स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता इत्यादि। बैंक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य रखने वाले इस श्रेणी के किसी व्यक्ति /ग्राहक के मामले में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करें तथा उस व्यक्ति के संबंध में पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध समस्त जानकारी से इसे परख लें। बैंकों को पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन को ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से पहले उक्त व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करना चाहिए और इन निधियों के स्रोतों की जानकारी हासिल करनी चाहिए। पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के लिए खाता खोलने का निर्णय ग्राहक स्वीकरण नीति में स्पष्टतः निर्धारित वरिष्ठ स्तर पर लिया जाए। बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे खातों की निरंतर आधार पर अधिक मॉनीटरिंग करें। इन उपर्युक्त मानदंडों को पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के परिवार के सदस्यों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों के खातों के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए। किसी विद्यमान खाते का विद्यमान ग्राहक अथवा लाभार्थी स्वामी बाद में पीईपी हो जाए तो बैंकों को उक्त ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंध तंत्र का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए तथा पीईपी श्रेणी के ग्राहकों पर यथालागू ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी उपाय उक्त खाते पर लागू करने चाहिए और खाते की निरंतर आधार पर अधिक मॉनीटरिंग भी करनी चाहिए।

(v) अप्रत्यक्ष (नॉन फेस-टू-फेस) ग्राहकों के खाते

टेलीफोन और इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग के प्रचलन से बैंकों द्वारा ग्राहकों के लिए अधिकाधिक खाते खोले जा रहे हैं जिसके लिए ग्राहकों के बैंक शाखा में आने की आवश्यकता नहीं होती। अप्रत्यक्ष ग्राहकों के मामले में, ग्राहक की सामान्य पहचान क्रियाविधि लागू करने के अलावा निहित उच्चतर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट और पर्याप्त क्रियाविधियों की आवश्यकता है। सभी प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण

पर ज़ोर दिया जाय और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेजों की माँग की जाए। ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहक के ऐसे किसी दूसरे बैंक खाते के जरिए पहला भुगतान करने की अपेक्षा भी रख सकते हैं जिसमें 'अपने ग्राहक को जानिए' के समान मानकों का पालन होता है। सीमा पार ग्राहकों के मामले में ग्राहक के दस्तावेजों के साथ मेल मिलाने की अतिरिक्त कठिनाई होती है और ऐसी स्थिति में बैंक के तीसरी पार्टी को प्रमाणीकरण/ पहचान पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तीसरी पार्टी एक विनियमित और पर्यवेक्षित संस्था है और वहां पर 'अपने ग्राहक को जानिए' प्रणाली पर्याप्त रूप में कार्यरत है।

(vi) मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते

स्वत्वधारी पर लागू ग्राहक पहचान प्रक्रिया संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अलावा बैंक/वित्तीय संस्थाएं मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से खाते खोलने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज की मांग करें तथा उनका सत्यापन करें :

नाम का प्रमाण, प्रतिष्ठान का पता तथा गतिविधियां जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में), दुकान और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस, बिक्री और आयकर रिटर्न, सीएसटी/वीएटी प्रमाणपत्र, बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंडियन मेडिकल काउंसिल, खाद्य और औषधि नियंत्रण प्राधिकारी आदि द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार प्राधिकरण /विभाग द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर जारी किया गया पंजीकरण/लाइसेंसिंग दस्तावेज। बैंक खाता खोलने के लिए डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम जारी की गई आइईसी (आयातक निर्यातक कूट-संख्या), एकल स्वामी के नाम में पूर्ण आयकर विवरणी (न कि सिर्फ पावती), जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो और जो आय कर के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित/ स्वीकृत हो तथा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता सेवा बिल भी पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कोई दो दस्तावेज पर्याप्त होंगे। दस्तावेज मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से होने चाहिए।

(vii) वेतनभोगी कर्मचारियों के खाते

यह बात हमारे ध्यान में लायी गई है कि कुछ बैंक वेतनभोगी कर्मचारियों के खाते खोलने के लिए नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पत्र को पहचान के प्रमाणन के प्रयोजन तथा पते के प्रमाण के रूप में एकमात्र केवाईसी प्रलेख मान लेते हैं। ऐसी प्रथा दुरुपयोग और धोखाधड़ी का साधन बन सकती है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि धोखाधड़ी के जोखिम को नियंत्रित रखने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक ऐसे प्रमाण पर तभी भरोसा करें जब वे प्रतिष्ठित कार्पोरेट और अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किये गये हो तथा बैंकों को इस संबंध में सचेत होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रमाण पत्र/पत्र जारी करने के लिए संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी कौन है। साथ ही, नियोक्ता के प्रमाण पत्र के अलावा, बैंक को कार्पोरेट तथा अन्य संस्थाओं के वेतनभोगी कर्मचारियों के बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी प्रयोजन के लिए धनशोधन निवारण नियमावली में दिये गये अधिकृत वैध दस्तावेजों (अर्थात् पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि) या उपयोगिता सेवा बिलों में से कम-से-कम एक की प्रस्तुति पर जोर देना चाहिए।

(viii) भारत में अध्ययन करनेवाले विदेशी छात्रों के खाते

एनआरई/एनआरई खाते खोलने/रखने के लिए प्राधिकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एसटीसीबी/सीसीबी किसी विदेशी छात्र का उनके पासपोर्ट (उचित वीजा एवं इमिग्रेशन परांकन के साथ) जिसमें पहचान तथा स्वदेश में पते की फोटो के साथ पहचान मौजूद है और शैक्षिक संस्था से प्रवेश दिए जाने के ऑफर प्रमाणपत्र के आधार पर अनिवासी सामान्य (एनआरओ) बैंक खाता खोल सकते हैं। खाता खोले जाने के 20 दिनों के भीतर विदेशी छात्र को जहां खाता खोला गया है उस शाखा को किराया करार अथवा उक्त शैक्षिक संस्था के पत्र के रूप में स्थानीय पता देते हुए एक वैध प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। बैंकों को किराया प्रलेखों के सत्यापन के लिए लैंडलार्ड को शाखा में आने का आग्रह नहीं करना चाहिए और बैंकों द्वारा स्थानीय पते के सत्यापन के वैकल्पिक मार्ग अपनाने चाहिए। 30 दिनों की अवधि के दौरान खाते का परिचालन कि खाते में 1,000 अमेरिकी डालर तक विदेशी प्रेषणों की अनुमति और पते का सत्यापन किए जाने तक पचास हजार रूपए के आहरण की मासिक उच्चतम सीमा की शर्त पर किया जाना चाहिए। चालू पते का प्रमाण प्रस्तुत किए जाने के बाद उक्त खाते को सामान्य एनआरओ खाते के रूप में माना जाएगा और इन्हें रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार परिचालित किया जाएगा। दिनांक 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना 5/2000 आरबी की अनुसूची 3 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाकिस्तानी राष्ट्रीयतावाले छात्रों का खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन जरूरी है।

(ix) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के लिए बचत बैंक खाता खोलना और खाते को ऋण सहबद्ध करना स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को बचत बैंक खाता खोलते समय और अपने खाते को ऋण सहबद्ध करते समय केवाईसी मानदंडों को पूरा करने में होनेवाली कठिनाइयों का उपाय करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि एसएचजी के खाते खोलते समय सभी सदस्यों का केवाईसी सत्यापन करने की जरूरत नहीं है और सभी पदाधिकारियों का केवाईसी सत्यापन पर्याप्त होगा। एसएचजी के खाते को ऋण सहबद्ध करते समय केवाईसी सत्यापन करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि बचत बैंक खाता खोलते समय केवाईसी का पहले ही सत्यापन हो चुका होता है और उक्त खाता परिचालन में बना हुआ रहता है तथा इसे ऋण सहबद्धता के लिए उपयोग में लाया जाना है, इसलिए सदस्यों अथवा पदाधिकारियों का केवाईसी सत्यापन करने की जरूरत नहीं है।

(x) वॉक-इन ग्राहक

गैर-खाता आधारित ग्राहक अर्थात् वॉक-इन ग्राहक के लेनदेन के मामले में यदि लेनदेन की राशि पचास हजार रुपये या उससे अधिक हो, चाहे वह एकल लेनदेन हो या आपस में जुड़े प्रतीत होनेवाले कई लेनदेन हों, तो ग्राहक की पहचान तथा पते का सत्यापन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि बैंक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई ग्राहक अपना लेनदेन जानबूझकर 50,000/- रुपये की उच्चतम सीमा से कम के लेनदेनों की श्रृंखला में करता जा रहा है, तो बैंक को उस ग्राहक की पहचान तथा पते का सत्यापन करना चाहिए तथा एफआइयू-आइएएनडी के पास एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) फाइल करने पर भी विचार करना चाहिए।

(xi) विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के खाते

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने एफपीआई के प्रवेश संबंधी मानदंडों को औचित्यपूर्ण बनाया है। सेबी ने उनके कथित जोखित प्रोफाइल (अनुबंध VI-क) पर आधारित एफपीआई को श्रेणीबद्ध किया है। सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत पंजीकृत (एफपीआई) और जिन्होंने सेबी विनियमित अभिरक्षक/बिचौलिये के माध्यम से सेबी द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित केवाईसी समुचित सावधानी/सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की है, निवेश संविभाग योजना (पीआइएस) के अंतर्गत निवेश के प्रयोजन के लिए बैंक खाता खोलने के लिए प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी I - एसटीसीबी से संपर्क कर सकते हैं जिसके लिए संपर्क कर सकते हैं जिसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित केवाईसी प्रलेखों (अनुबंध VI - ख) की जरूरत होगी। इस

प्रयोजन के लिए एसटीसीबी तृतीय पक्ष (अर्थात् अभिरक्षक/सेबी विनियमित बिचौलिया) द्वारा किए गए केवाईसी सत्यापन पर निर्भर रह सकते हैं, जो धनशोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमावली 2005 के नियम 9(2) (ए) से (ई) में निहित शर्तों के अधीन होगा। एसटीसीबी जहां कहीं लागू हो, एफपीआई द्वारा अभिरक्षकों/ विनियमित बिचौलियों को प्रस्तुत संगत केवाईसी प्रलेखों की हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं जो अभिरक्षकों/विनियमित बिचौलियों द्वारा इस बात के लिए विधिवत प्रमाणित हों कि उक्त प्रलेखों का मूल प्रति के साथ विधिवत प्रमाणित हैं अथवा नोटरीकृत प्रलेख प्राप्त किए गए हैं। साथ ही, बैंकों से अपेक्षित है कि वे एफपीआई अथवा एफपीआई की ओर से कार्य करनेवाले वैश्विक अभिरक्षक से इस आशय का वचन प्राप्त करें कि जब कभी आवश्यक हो अनुबंध VI-ख में दिए गए ब्योरों के अनुसार छूट प्राप्त प्रलेख प्राप्त किए जाएंगे। एसटीसीबी गौर बाजार लेनदेनों को सुविधाजनक बनाने के लिए एफपीआईसे प्राप्त केवाईसी प्रलेख अथवा अभिरक्षक/विनियमित बिचौलियों से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपियां एफपीआई द्वारा लिखित प्राधिकरण के आधार पर दूसरे बैंकों/विनियमित बाजार बिचौलियों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये प्रावधान नए तथा वर्तमान के दोनों ही एफपीआई ग्राहकों पर और केवल एफपीआई उपर्युक्त क्रियाविधि के अंतर्गत खोले गए बैंक खाते का प्रयोग किसी अन्य अनुमोदित गतिविधियों (अर्थात् पीआईएस से इतर) के लिए करना चाहते हों तो उन्हें अन्य ग्राहकों के लिए निर्धारित केवाईसी डील को पूरा करना होगा।

2.6 छोटे खाते

दिनांक 16 दिसंबर 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. 14/2010/एफ.सं.6/2/2007-ई.एस. के अनुसार धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना इस परिपत्र के अनुबंध IV में दी गयी है।

(क) अधिसूचना के नियम 2 खंड (च ख) के अनुसार छोटे खाते का तात्पर्य किसी बैंकिंग कंपनी में बचत खाता है जिसमें -

- i) एक वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र जमाराशि (क्रेडिट) एक लाख रुपये से अधिक नहीं होती है;
- ii) किसी एक महीने में सभी आहरणों और अंतरणों की मिलाकर की राशि दस हजार रुपये से अधिक नहीं होती है; तथा

iii) किसी भी समय खाते में शेष पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होता है।

ख. अधिसूचना के नियम (2अ) के अंतर्गत छोटे खाते खोलने की विस्तृत क्रियाविधि निर्धारित की गई है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे छोटे खाते खोलते समय उक्त नियमों के अंतर्गत उल्लिखित क्रियाविधि का पालन सुनिश्चित करें।

2.7 बैंक खातों का परिचालन तथा धनशोधन का माध्यम बने व्यक्ति

(क) यह बात हमारे ध्यान में लाई गई है कि अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी वाली योजनाओं (उदाहरणार्थ फिशिंग तथा पहचान की चोरी) से होने वाली आय का शोधन करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों की सेवा ली जाती है जो धनशोधन के माध्यम बन गये हैं; ऐसे अपराधी तीसरे पक्षकारों को 'धनशोधन के माध्यम' के रूप में कार्य करने के लिए भर्ती कर अवैध रूप से जमा खातों तक पहुँच बना लेते हैं। कुछ मामलों में ये तीसरे पक्षकार निर्दोष हो सकते हैं लेकिन अन्य मामलों में अपराधियों के साथ उनकी मिलीभगत हो सकती है।

(ख) 'धनशोधन के माध्यम' संबंधी लेनदेन में एक बैंक खाताधारक व्यक्ति को भर्ती किया जाता है जो चेक जमा अथवा तार अंतरण प्राप्त करे और तत्पश्चात् कमीशन भुगतान की एक निश्चित राशि घटाकर इन निधियों को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर धारित खातों में अथवा अन्य व्यक्तियों को अंतरित करे। ऐसे व्यक्तियों को स्पैम ई-मेल, भर्ती की मान्य वेबसाइटों पर विज्ञापनों, सोशल नेटवर्किंग साइटों, इंस्टैंट मैसेजिंग तथा समाचार पत्रों में विज्ञापनों जैसे तमाम तरीकों से भर्ती किया जा सकता है। जब धनशोधन के माध्यम बने ऐसे व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो प्रायः उनके बैंक खाते निलंबित कर दिए जाते हैं जिसके कारण धोखाधड़ी में हिस्सेदारी के लिए संभावित कानूनी कार्रवाई भुगतान के अलावा उन्हें असुविधा और भारी वित्तीय क्षति भी उठानी पड़ती है। कई बार तो धनशोधन के माध्यम बने ऐसे व्यक्तियों के पते और संपर्क के ब्योरे ही नकली निकलते हैं या वे अद्यतन नहीं होते जिससे प्रवर्तन एजेंसियों को खाताधारक का पता लगाने में कठिनाई होती है।

(ग) यदि बैंक इस मास्टर परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों का पालन करें तो धनशोधन के माध्यम बने ऐसे खातों के परिचालन को कम-से-कम किया जा सकता है। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध पर समय-समय पर जारी तथा

खाता खुलने के बाद ग्राहक पहचान संबंधी आंकड़ों को आवधिक रूप से अद्यतन करने संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि वे ऐसे धोखेबाजों द्वारा अपना और अपने ग्राहकों का दुरुपयोग होने से बचाव कर सकें ।

2.8 लेनदेनों की निगरानी

(क) "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी कारगर क्रियाविधियों का अनिवार्य तत्व है निरंतर निगरानी। बैंक केवल तभी प्रभावी ढंग से अपनी जोखिम का नियंत्रण कर सकते हैं और उसे कम कर सकते हैं जब उनमें ग्राहक की सामान्य और समुचित गतिविधि की समझ हो ताकि इससे गतिविधि के नियमित पैटर्न से बाहर के लेनदेनों का पता लगाने के साधन उनके पास उपलब्ध हो जाएं। तथापि, निगरानी किस सीमा तक होगी वह उस खाते के जोखिम की संवेदनशीलता पर निर्भर होगा। बैंकों को चाहिए कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेनों और सभी ऐसी असामान्य बातें, जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा दृश्य वैध प्रयोजन न हो, की ओर विशेष ध्यान दें। खातों की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए बैंक प्रारंभिक सीमाएं निर्धारित करें और इन सीमाओं को लांघने वाले लेनदेनों की ओर विशेष ध्यान दें। बड़ी नकद राशि वाले लेनदेन, जो संबंधित ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के अनुरूप नहीं हैं, की ओर बैंक का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित होना चाहिए। रखी गयी शेष राशि के आकार के अनुरूप न होने वाले बहुत बड़े लेनदेन यह दर्शाते हैं कि उस खाते से बड़ी-बड़ी निधियां निकाली जा रही है। उच्च जोखिम वाले खातों पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। प्रत्येक बैंक को ग्राहक की पृष्ठभूमि, जैसे - मूल का देश, निधियों के स्रोत, निहित लेनदेनों के प्रकार और जोखिम के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे खातों के लिए महत्वपूर्ण संकेतक निश्चित करना चाहिए। बैंकों को खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की एक प्रणाली आरंभ करनी चाहिए और इस संबंध में उचित सावधानी के और अधिक उपाय लागू करने की भी आवश्यकता है । ग्राहकों के जोखिम संवर्गीकरण की ऐसी समीक्षा छह महीने में कम से कम एक बार की जानी चाहिए।

(ख) नकद बहुलता युक्त व्यवसाय में निहित जोखिम के मद्देनजर बुलियन के डीलरों (उप- डीलरों सहित) और ज्वेलरों के खातों को भी बैंकों द्वारा "उच्च जोखिम" वाले खातों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिसमें अधिक समुचित सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

(ग) बैंकों द्वारा “उच्च जोखिम” युक्त खातों को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों की पहचान के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए।

(घ) बैंकों द्वारा ग्राहकों का जोखिम संवर्गीकरण तथा ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) का समेकन व आवधिक अद्यतन एवं खातों में अलर्ट्स की मॉनीटरिंग व समापन जैसे कार्य केवाईसी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। तथापि, इस क्षेत्र में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन में शिथिलता पायी गई है, जिससे बैंकों में परिचालनगत जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। अतः बैंकों को केवाईसी/ एएमएल/सीएफटी पर विनियामक दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.9 खाते बंद करना

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यमान खातों के लिए ऐसे न्यूनतम केवाईसी मानकों की शत्र लागू है जिनसे नेचरल/विधिक व्यक्तियों तथा लाभार्थी स्वामियों की पहचान स्थापित हो सके। जहां ग्राहक द्वारा जानकारी प्रस्तुत न करने तथा /अथवा ग्राहक के असहयोग के कारण बैंक को 'अपने ग्राहक को जानिए' उपाय लागू करना संभव नहीं है, वहां बैंक खाता बंद करने अथवा उस ग्राहक से बैंकिंग /व्यावसायिक संबंध समाप्त करने के बारे में अपने ग्राहक को कारण स्पष्ट करने वाली एक सूचना जारी करने के बाद, ऐसा निर्णय लेने पर विचार कर सकता है। ऐसे निर्णय उचित वरिष्ठ स्तर पर लेना आवश्यक है।

2.10 जोखिम प्रबंधन

(क) बैंक के निदेशक बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योग्य क्रियाविधियों को स्थापित करके तथा उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करके, प्रभावी 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम लागू किया जाता है। इसमें उचित प्रबंधन निरीक्षण, प्रणालियां तथा नियंत्रण, कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित मामले शामिल होने चाहिए। बैंक की नीतियों तथा क्रियाविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के भीतर ही उत्तरदायित्व का स्पष्ट विनियोजन किया जाए। बैंकों को अपने बोर्ड के साथ परामर्श करके अपने मौजूदा तथा नये ग्राहकों का जोखिम प्रोफाइल तैयार करने, विभिन्न देशों, भौगोलिक क्षेत्रों के साथ कारोबार करने में जोखिम और विभिन्न उत्पादों/ सेवाओं/ लेनदेनों/ सुपुर्दगी चैनलों आदि, में भी जोखिम के मूल्यांकन की क्रियाविधियां बनानी चाहिए और किसी लेनदेन, खाते या

बैंकिंग/ व्यवसायी संबंध में निहित जोखिम के मद्देनजर विभिन्न धन शोधन निवारण (एंटी मनी लांडरिंग) उपाय लागू करने चाहिए।

(ख) 'अपने ग्राहक को जानिए' नीतियों तथा क्रियाविधियों के मूल्यांकन तथा उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने में बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा तथा अनुपालन संबंधी गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य नियमानुसार, अनुपालन कार्य में बैंक की अपनी नीतियों तथा क्रियाविधियों का, जिनमें विधिक तथा विनियामक अपेक्षाएं शामिल हैं, स्वतंत्र मूल्यांकन निहित होना चाहिए। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी लेखा-परीक्षा व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति कार्यरत हैं जो ऐसी नीतियों तथा क्रियाविधियों से भली-भाँति परिचित हैं। समवर्ती /आंतरिक लेखा-परीक्षकों को विशेष रूप से शाखाओं में 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों की जांच करनी चाहिए तथा उन्हें लागू किये जाने को सत्यापित करना चाहिए तथा इस संबंध में पायी गयी कमियों पर टिप्पणी देनी चाहिए। इससे संबंधित अनुपालन रिपोर्ट को बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही अंतरालों पर प्रस्तुत किया जाए।

(ग) भारत सरकार ने धनशोधन और आतंक के वित्तपोषण का मूल्यांकन करने, एक राष्ट्रीय एमएल/सीएफटी नीति और संस्थागत ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय /आतंक जोखिम निर्धारण समिति गठित की थी। उक्त समिति की सिफारिशें भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं और इन्हें कार्यान्वित करने की जरूरत है। समिति ने एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने, जोखिम का निर्धारण करने और ऐसी प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की है जिसमें उस निर्धारण को एमएल/एफटी का पभावी प्रतिरोध करने हेतु कार्रवाई करने में काम में लाया जाएगा। तदनुसार, बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा केवाईसी / एमएल/सीएफटी/पीएमएलए के अंतर्गत बैंकों के दायित्व पर समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों में निर्धारित बातों के अलावा ग्राहकों, देशों तथा भौगोलिक प्रदेशों तथा साथ ही साथ उत्पादों/ सेवाओं/ लेनेडेनोन/ डीलीवरी चैनलों के लिए एमएल/एफटी जोखिमों की पहचान एवं निर्धारण करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। बैंकों के पास ऐसी नीतियां, नियंत्रण एवं क्रियाविधियाँ होनी चाहिए जिनसे कि वे ऊपर चर्चित प्रकार से एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधित एवं कम कर सकें। इसके लिए बैंकों को माध्यम अथवा उच्च जोखिम रेटिंग वाले उत्पादों, सेवाओं और ग्राहकों के लिए संवर्धित उपाय करने होंगे।

2.11 नयी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग - क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड /स्मार्ट कार्ड /गिफ्ट कार्ड

बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग समेत नयी अथवा विकासशील प्रौद्योगिकियों से उभरने वाले धन शोधन से संबंधित जोखिमों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो धन शोधन योजनाओं में उनके उपयोग को रोकने के उपाय करने चाहिए। अधिकांश बैंक ग्राहकों द्वारा माल तथा सेवाएं खरीदने, ए टी एम में से नकद आहरित करने और साथ ही निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने के व्यवसाय में लगे हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अतिरिक्त / पूरक कार्डधारकों के मामले में भी "अपने ग्राहक को जानिए"/ धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी समय-समय पर जारी सभी दिशानिर्देशों का पूरा अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, सामान्यतः सेवा एजेंटों के माध्यम से क्रेडिट कार्डों की मार्केटिंग की जाती है। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को कार्ड जारी करने से पूर्व 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों को उचित रूप में लागू किया जाता है। यह भी वांछनीय है कि एजेंटों पर भी 'अपने ग्राहक को जानिए' उपाय लागू किये जाते हैं।

2.12 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 'सममूल्य पर' चेक सुविधा प्रदान करना

कुछ बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दी गई 'सममूल्य पर' चेक सुविधा का प्रयोग केवल अपने उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि अपने विप्रेषण और भुगतानों का सुगम कराने के लिए तात्कालिक ग्राहकों (वॉक-इन) सहित अपने ग्राहकों के लिए भी करते हैं। ऐसी व्यवस्था से उत्पन्न होनेवाली प्रणालीगत और पर्यवेक्षी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 'सममूल्य पर' चेक सुविधा का उपयोग केवल निम्नलिखित के लिये ही करें:

- i) अपने स्वयं के उपयोग के लिये।
- ii) केवाइसी का पालन करनेवाले अपने खाताधारकों के लिए बशर्ते कि पचास हजार रुपए या उससे अधिक के सभी लेनदेन निश्चित रूप से ग्राहकों के खाते में नामे डालकर ही किये जाए।
- iii) तात्कालिक ग्राहकों के लिये प्रति व्यक्ति पचास हजार रुपए से कम की नकदी पर ।

उपर्युक्त तरीके से 'सममूल्य पर' चेक सुविधा का उपयोग करने के लिये आरआरबी/ एसटीसीबी/ सीसीबी निम्नलिखित का पालन करें :- i) 'सममूल्य पर' चेक जारी करने संबंधी रिकार्ड जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक का नाम और खाता संख्या, लाभार्थी के ब्यौरे और 'सममूल्य पर' चेक जारी करने की तारीख शामिल हो। ii) ऐसी सुविधा देने वाले वाणिज्य बैंक के पास ऐसे लिखत सकारने (शोधन करने) के प्रयोजन के लिये पर्याप्त शेष राशि / आहरण व्यवस्थाएं हों। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके द्वारा जारी सभी 'सममूल्य पर' चेक रेखित (क्रास्ड) 'खाता आदाता' (एकाउंट पेई) के हैं भले ही उसमें निहित राशि कुछ भी क्यों न हो। बैंक ग्राहकों के लिये विप्रेषण के अधिक प्रभावी साधन जैसे एनईएफटी अथवा आरटीजीएस का उपयोग करें और ऐसी सेवाएं सीधे अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकों के उप सदस्य बनते हुए प्रदान करें।

2.13 आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध

(क) धनशोधन निवारण अधिनियम के नियमों के अनुसार संदेहास्पद लेनदेन में अन्य लेनदेन के साथ-साथ वे लेनदेन होने चाहिए जो इस बात का संदेह करने के लिए उचित आधार देते हैं कि ये आतंकवाद से संबंधित कार्यों के वित्तपोषण से संबंधित हैं। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उचित नीतिगत ढांचे के माध्यम से आतंकवादी संबंध होने की आशंका वाले खातों की अधिक निगरानी के लिए तथा ऐसे लेनदेन को तुरंत पहचानकर प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय आसूचना यूनिट-भारत (एफआइयू - आइएनडी) को रिपोर्ट करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित करें।

(ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न संकल्पों (यूएनएससीआर) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची भारत सरकार से प्राप्त होने पर रिज़र्व बैंक उसे सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में परिचालित करता है। बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित सूची के अनुसार व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूचियों को सुनिश्चित रूप से अद्यतन करना चाहिए। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist..shtml> पर भी उक्त अद्यतन सूची प्राप्त की जा सकती है।

सुरक्षा परिषद ने संकल्प 1988 (2011) तथा 1989 (2011) स्वीकार कर लिया है जिनके परिणामस्वरूप 1967 समिति की समेकित सूची अलग-अलग दो सूचियों में विभाजित हो गई है नामतः

- (i) **"अल-कायदा प्रतिबंध सूची"** जो 1267/1989 समिति द्वारा अनुरक्षित है। इस सूची में केवल अल-कायदा से संबद्ध व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों तथा संगठनों के नाम शामिल होंगे। कार्यकारी समिति पर सामान्य जानकारी <http://www.un.org/sc/committees/1267/information.shtml> पर उपलब्ध है। अल-कायदा प्रतिबंधों की अद्यतन सूची http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml पर उपलब्ध है।
- (ii) **"1988 प्रतिबंध सूची"** जो 1988 समिति द्वारा तैयार की जाती है। इस सूची में समेकित सूची के खंड क ("तालिबान से संबद्ध व्यक्ति") तथा खंड ख ("तालिबान से संबद्ध संगठन तथा अन्य समूह एवं उपक्रम") में इसके पूर्व शामिल किए गए नामों को शामिल किया गया है। अद्यतन 1988 प्रतिबंध सूची <http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml> पर उपलब्ध है।

यह नोट किया जाए कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51-ए के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए "अल-कायदा प्रतिबंध सूची" तथा "1988 प्रतिबंध सूची" दोनों पर विचार किया जाना है। बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित सूची के अनुसार व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूचियों को अद्यतन बनाए रखें और कोई नया खाता खोलने से पहले वे सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम/के नाम सूचियों में शामिल नहीं हैं। इसके साथ ही, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोई भी खाता सूची में शामिल व्यक्तियों अथवा संस्थाओं का नहीं है अथवा उनसे संबंधित नहीं है। सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति /संस्था से किसी भी प्रकार की समानता होने वाले खातों के संपूर्ण ब्यौरे भारतीय रिज़र्व बैंक तथा एफआइयू-आइएनडी को तत्काल सूचित किए जाने चाहिए।

(ग) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है। सरकार ने 27 अगस्त 2009 को एक आदेश जारी किया है जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के निवारण तथा उनका प्रतिरोध करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क को लागू करने की प्रक्रिया के ब्यौरे दिये गये

हैं। धारा 51क के अनुसार उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न अथवा संदिग्ध रूप से संलग्न किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उनके कहने पर रखी गयी निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों पर रोक लगाने, जब्ती या कुर्की करने के लिए तथा आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न या संदिग्ध रूप से संलग्न किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए कोई निधि, वित्तीय आस्ति या आर्थिक संसाधन या उससे जुड़ी सेवाएँ उपलब्ध कराने से किसी व्यक्ति या संस्था को प्रतिबंधित करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान की गयी है।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश (अनुबंध III) में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें तथा सरकार के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक से ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची (जिन्हें निर्दिष्ट सूचियाँ कहा गया है), जिन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू हैं, प्राप्त होने पर उन्हें यूएनएससीआर की सूची में शामिल निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों पर, खासकर बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय सेवाओं या आर्थिक संसाधनों या आर्थिक सेवाओं पर रोक लगाने/रोक हटाने के संबंध में यूएपीए की धारा 51क के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

उक्त आदेश के पैरा 4 के अनुसार बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को निर्दिष्ट सूचियाँ भेजेगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे :

(i) अद्यतन निर्दिष्ट सूचियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखें तथा निश्चित मानदंडों के आधार पर नियमित रूप से इसकी जांच करें कि क्या आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्ति अथवा संस्थाएँ (जिन्हें निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्थाएँ कहा गया है) उनके पास बैंक खातों के रूप में कोई निधि, वित्तीय आस्तियाँ या आर्थिक संसाधन या उससे जुड़ी सेवाएं रख रही हैं ।

(ii) यदि किसी ग्राहक के ब्यौरे निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के ब्यौरे से मिलते हों, तो बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे ग्राहक का पता चलने के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा-I), गृह मंत्रालय को अपनी बहियों में ऐसे ग्राहक द्वारा रखे गये बैंक खाते के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या आर्थिक सेवाओं के पूरे ब्यौरे फ़ैक्स सं. 011-23092569

पर भेज दें। साथ ही, इसकी जानकारी टेलीफोन सं.011-23092736 पर भी दें। ब्यौरे डाक से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल द्वारा भेजे जाएं।

(iii) बैंक ऊपर (ii) में उल्लिखित सूचना की एक प्रतिलिपि भारतीय रिज़र्व बैंक के यूएपीए नोडल अधिकारी, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, धन शोधन निवारण प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, 13वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400001 को डाक से और फैक्स सं. 022-22701239 पर भेजेंगे। ब्यौरे डाक/फैक्स से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल पर भेजे जाएं।

(iv) बैंक ऊपर (ii) में उल्लिखित सूचना की एक प्रतिलिपि वित्तीय आसूचना एकक -भारत (एफआइयू-एनडी) तथा उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के यूएपीए नोडल अधिकारी को भी भेजेंगे, जहां खाता रखा गया है।

(v) यदि निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के ब्यौरे से ग्राहक के ब्यौरे पूरी तरह मिलते हों और उसमें **संदेह की कोई गुंजाइश न हो** तो बैंक निर्दिष्ट व्यक्तियों को वित्तीय लेनदेन नहीं करने देंगे तथा इसकी सूचना संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा -I), गृह मंत्रालय को फैक्स सं. 011-23092569 पर तथा टेलीफोन सं. 011-23092736 पर देंगे। ब्यौरे डाक से भेजने के अलावा अनिवार्य रूप से ई-मेल द्वारा भेजे जाएं।

(vi) बैंक उपर्युक्त पैराग्राफ (ii) के अंतर्गत शामिल खातों में किए गए अथवा करने का प्रयास किए गए सभी लेनदेनों की संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भी निर्धारित प्रारूप में वित्तीय आसूचना एकक-भारत को प्रस्तुत करेंगे।

(घ) वित्तीय आस्तियों पर रोक लगाना

(i) उपर्युक्त पैराग्राफ (ii) में उल्लिखित विवरण प्राप्त होने के बाद गृह मंत्रालय का आंतरिक सुरक्षा -I प्रभाग राज्य पुलिस तथा/अथवा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सत्यापन करवाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों द्वारा पहचान किए गए व्यक्ति/ संस्थाएं वही हैं जो निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं के रूप में सचीबद्ध हैं और बैंकों ने जिन निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा

आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी दी है वे इन्हीं निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा धारित की गई हैं। यह सत्यापन ऐसे विवरण प्राप्त होने की तारीख से 5 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।

(ii) यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि सम्पत्ति पर निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं का स्वामित्व है या उनके लाभ के लिए रखी गयी है तो ऐसे सत्यापन के 24 घंटे के भीतर यूएपीए की धारा 51क के अंतर्गत इन आस्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक और एफआइयू- आइएनडी को अवगत कराते हुए बैंक की संबंधित शाखा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना भेजी जाएगी।

(ii) उक्त आदेश निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं को पूर्व नोटिस दिये बिना जारी होगा।

ड) वर्ष 2001 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त अनुरोधों का कार्यान्वयन

(i) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 के अनुसार देशों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे आतंकवादी कृत्य करनेवाले, करने का प्रयास करनेवाले अथवा आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में शामिल या सहायता पहुंचाने वाले व्यक्तियों; ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संचालित संस्थाओं; तथा ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की ओर से या उनके इशारे पर काम करनेवाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं की निधियों अथवा अन्य आस्तियों पर रोक लगाएं। इनमें ऐसे व्यक्तियों तथा उनसे जुड़े व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वाधिकृत या नियंत्रित संपत्ति से उपार्जित अथवा सृजित निधियां एवं अन्य आस्तियां भी शामिल हैं ।

(ii) यूएनएससीआर 1373 के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए विदेश मंत्रालय विदेशों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच-पड़ताल करेगा और अपनी टिप्पणी के साथ निधियों अथवा अन्य आस्तियों पर रोक लगाने के लिए उन्हें आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजेगा ।

(iii) गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी पांच कार्य दिवसों के भीतर अनुरोध की जाँच करवाएगा ताकि वह संतुष्ट हो सके कि प्रयोज्य कानूनी सिद्धांतों के

आधार पर अनुरोध में यह संदेह करने अथवा विश्वास करने के औचित्यपूर्ण कारण अथवा औचित्यपूर्ण आधार हैं कि प्रस्तावित निर्दिष्ट व्यक्ति/ संस्था आतंकवादी है, जो आतंकवाद अथवा किसी आतंकवादी संगठन का वित्तपोषण करता है तथा स्वयं संतुष्ट हो जाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के नोडल अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे अनुरोध को अग्रेषित करेगा। प्रस्तावित निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था को, जैसा कि ऊपर वर्णित है, निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था माना जाएगा ।

(iv) आंतरिक सुरक्षा - I प्रभाग के यूएपीए नोडल अधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने के बाद बैंकों को सूची भेजी जाएगी तथा पैराग्राफ 2.13 [(ग), (घ) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

(v) रोक लगाने के आदेश संबंधित निर्दिष्ट व्यक्तियों को पूर्व नोटिस दिये बिना जारी होंगे।

(च) सत्यापन के बाद यह पता चलने पर कि संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा संस्था नहीं है, निधियों पर रोक लगाने से गलती से प्रभावित हुए व्यक्तियों/संस्थाओं की निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर से रोक हटाने की प्रक्रिया

ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जिसके पास इस बात का साक्ष्य हो कि उसके द्वारा धारित/स्वाधिकृत निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर गलती से रोक लगाई गई है, संबंधित बैंक को अपेक्षित साक्ष्य लिखित रूप में देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। बैंक किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सूचना और उसकी एक प्रति रोकी गई आस्ति के पूरे ब्यौरे सहित उपर्युक्त पैराग्राफ 2.13 (सी) (ii) में दिए गए संपर्क सूत्र के अनुसार गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा -I प्रभाग के नोडल अधिकारी को दो कार्य दिवस के भीतर ही अग्रेषित करेंगे जिसके अंतर्गत संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा यह सूचना दी गई हो कि उसकी निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर गलती से रोक लगाई गई है । संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा-I), गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के (आंतरिक सुरक्षा-I)प्रभाग का नोडल अधिकारी होने के नाते व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यदि ज़रूरी हुआ तो इस प्रकार का सत्यापन करवाएगा और संतुष्ट होने पर 15 कार्य दिवसों के भीतर ऐसे आवेदक द्वारा स्वाधिकृत/धारित निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं पर से रोक हटाने के आदेश

जारी करेगा और उसकी सचना संबंधित बैंक को देगा । तथापि, यदि 15 कार्य दिवसों के भीतर आस्तियों पर से रोक हटाने के लिए किसी कारणवश आदेश जारी करना संभव न हो तो उसकी सूचना आंतरिक सुरक्षा-1 का नोडल अधिकारी आवेदक को देगा ।

(छ) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 51क के अंतर्गत आदेशों की सूचना

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967 की धारा 51(क) के अंतर्गत निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा संबंधित सेवाओं से संबंधित सभी आदेश भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से सभी बैंकों को भेजे जाएंगे। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967 के उपबंध संबंधित स्टाफ के नोटिस मेन लाएं तथा इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

2.14 वित्तीय कार्रवाई दल (एफएटीएफ) की सिफारिशों को लागू नहीं करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले क्षेत्राधिकार (देश)

(क) बैंकों को चाहिए कि वे एफएटीएफ वक्तव्य में शामिल किए गए क्षेत्रों में धनशोधन निवारण(एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) संबंधी मानदंडों में कमियों के कारण होने वाले जोखिम को ध्यान में रखें। बैंकों को एफएटीएफ सिफारिशों को लागू न करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों की पहचान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिचालित किए जाने वाले एफएटीएफ वक्तव्यों के अलावा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचना / जानकारी पर भी विचार करना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को एफएटीएफ सिफारिशों को लागू न करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों तथा एफएटीएफ वक्तव्यों में शामिल किए गए क्षेत्रों की हस्तियों (विधिक व्यक्तियों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) के साथ कारोबारी संबंधों तथा लेनदेनों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

(ख) बैंकों को एफएटीएफ वक्तव्यों में शामिल किए गए क्षेत्रों तथा एफएटीएफ की सिफारिशों को लागू न करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों की व्यक्तियों (विधिक व्यक्ति तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) के साथ लेनदेनों की पृष्ठभूमि तथा प्रयोजन की जांच करनी चाहिए। साथ ही, यदि लेनदेन का कोई प्रकट आर्थिक अथवा विधिक प्रयोजन नहीं है तो ऐसे लेनदेनों की पृष्ठभूमि तथा

प्रयोजन की जहां तक संभव हो, जांच की जानी चाहिए तथा इसके निष्कर्ष को लिखित रूप में सभी दस्तावजों सहित रखा जाए और अनुरोध प्राप्त होने पर रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए ।

2.15 संपर्ककर्ता बैंकिंग (कोरिस्पॉन्डेंट बैंकिंग)

(क) संपर्ककर्ता बैंकिंग में एक बैंक (संपर्ककर्ता बैंक) से दूसरे बैंक (रिस्पॉन्डेंट बैंक) में बैंकिंग सेवा का प्रावधान रहता है । इन सेवाओं में नकद /निधियों का प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय तार अंतरण, मांग ड्राफ्ट आहरण और डाक अंतरण व्यवस्था, खातों के जरिए देय व्यवस्था, चेक समाशोधन आदि का समावेश रहता है। संपर्ककर्ता बैंक /रिस्पॉन्डेंट बैंक के कामकाज का स्वरूप पूर्णतः समझने के लिए बैंकों को पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । दूसरे बैंक का प्रबंधन, प्रमुख कारोबारी गतिविधियाँ, एएमएल /सीएफटी अनुपालन का स्तर, खाता खोलने का उद्देश्य किसी तीसरे व्यक्ति की पहचान जो संपर्ककर्ता बैंकिंग का उपयोग करेगा और संपर्ककर्ता /रिस्पॉन्डेंट के देश में विनियामक /पर्यवेक्षण ढाँचे के संबंध में जानकारी विशेष रूप से संगत हो सकती है। इसी प्रकार, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के जरिए यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या दूसरे बैंक पर धन शोधन या आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन देने के संबंध में किसी प्रकार की जांच या विनियामक कार्रवाई की जा रही है । यह वांछनीय होगा कि ऐसे संबंध केवल बोर्ड के अनुमोदन से ही स्थापित किए जाएं, तथापि यदि किसी बैंक का बोर्ड किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित करना चाहें तो वे ऐसे संबंध अनुमोदित करने के लिए स्पष्ट मानदंडों को निर्धारित करते हुए, बैंकों के अध्यक्ष /सीइओ के नेतृत्व वाली समिति को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को अनिवार्यतः बोर्ड के कार्यान्वयन अनुमोदन हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैंक की जिम्मेदारियों को जिनके साथ संपर्ककर्ता बैंकिंग संबंध स्थापित किये गये हैं स्पष्ट रूप में प्रलेखित किया जाना चाहिए । खाते के जरिए देय मामलों में संपर्ककर्ता बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ने उन ग्राहकों की पहचान का सत्यापन कर लिया है जिनकी खातों में सीधी पहुँच है और उनके संबंध में निरंतर 'उचित सावधानी' बरती जा रही है । संपर्ककर्ता बैंक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी अनुरोध करने पर तुरंत देने में सक्षम हैं ।

(ख) 'शेल बैंक' के साथ संपर्ककर्ता संबंध

किसी 'शेल बैंक' (अर्थात् ऐसा बैंक जो किसी देश में निगमित है जहां उसका अपना अस्तित्व नहीं है और वह किसी विनियमित वित्तीय समूह से संबंधित नहीं है) के साथ संपर्ककर्ता संबंध स्थापित करने से बैंक को इन्कार करना चाहिए। शेल बैंकों को भारत में कार्य करने की अनुमति नहीं है। बैंकों को उन रिस्पॉन्डेंट विदेशी वित्तीय संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करते समय सतर्क रहना चाहिए जो उनके खातों का उपयोग करने की अनुमति शेल बैंकों को देते हैं। बैंकों को उन रिस्पॉन्डेंट बैंकों के साथ संबंध बनाए रखने में अत्यंत सतर्कता बरतनी चाहिए जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां 'अपने ग्राहक को जानिए' मानक कमजोर हैं और ऐसे देश जिन्हें धन शोधन और आंतकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष में 'असहयोगी' के रूप में जाना गया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रिस्पॉन्डेंट बैंकों के पास धन शोधन निवारण नीति और क्रियाविधि है और वे संपर्ककर्ता खातों के जरिए किए गए लेनदेनों के संबंध में निरंतर 'उचित सावधानी' क्रियाविधि लागू करते हैं।

2.16 वायर अंतरण

(क) बैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक वायर अंतरणों (वायर ट्रांसफर) का उपयोग करते हैं। वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये जानेवाले लेनदेन शामिल हैं। चूंकि वायर अंतरणों में मुद्रा की वास्तविक आवाजाही शामिल नहीं है, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्य अंतरण के लिए त्वरित और सुरक्षित प्रणाली समझे जाते हैं। वायर अंतरण लेनदेन की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

- (i) वायर अंतरण एक ऐसा लेनदेन है जिसके द्वारा प्रवर्तक व्यक्ति (प्राकृतिक और कानूनी दोनों) की ओर से बैंक के जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धनराशि किसी बैंक के किसी लाभार्थी को उपलब्ध करायी जाती है। प्रवर्तक और लाभार्थी एक ही व्यक्ति हो सकता है।
- (ii) सीमा पार अंतरण का अर्थ है ऐसा वायर अंतरण जहां प्रवर्तक और लाभार्थी बैंक या वित्तीय संस्था भिन्न देशों में स्थित है। इसमें वायर अंतरणों की ऐसी श्रृंखला शामिल हो सकती है जिसमें कम-से-कम एक सीमा पार अंतरण किया गया हो।

(iii) देशी वायर अंतरण का अर्थ है ऐसा वायर अंतरण जहां प्रवर्तक और प्राप्तकर्ता एक ही देश में स्थित हैं। इसमें वायर अंतरणों की ऐसी श्रृंखला भी शामिल हो सकती है जो पूरी तरह एक ही देश की सीमाओं के भीतर होते हों भले ही वायर अंतरण करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली किसी दूसरे देश में स्थित हो ।

(iv) प्रवर्तक खाता धारक या जहां कोई खाता नहीं है वहां ऐसा व्यक्ति (नैसर्गिक और कानूनी) होता है जो बैंक को वायर अंतरण करने का आदेश देता है ।

(ख) वायर अंतरण दुनिया भर में निधियों के अंतरण के लिए तात्कालिक और पसंद किया जानेवाला माध्यम है और इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि आतंकवादियों और अन्य अपराधियों की अपनी निधियों को लाने-ले जाने के लिए वायर अंतरणों तक मुक्त पहुंच को रोका जाए तथा जब भी इसका दुरुपयोग होता है तो उसका पता लगाया जाए । ऐसा तभी किया जा सकता है यदि वायर अंतरणों के प्रवर्तक के संबंध में बुनियादी जानकारी उपयुक्त कानून प्रवर्तन तथा/या अभियोजनकर्ता प्राधिकारियों को तुरंत उपलब्ध करायी जाए ताकि आतंकवादियों या अन्य अपराधियों का पता लगाने, जांच-पड़ताल करने, मुकदमा चलाने में उन्हें सहायता दी जा सके और उनकी परिसंपत्तियों का पता लगाया जा सके । उक्त सूचना का उपयोग फाइनेंशल इंटेलिजेंस यूनिट - इंडिया (एफआइयू-आइएनडी) द्वारा संदिग्ध या असामान्य गतिविधि का विश्लेषण करने और आवश्यकता होने पर उसे प्रचारित करने के लिए किया जा सकता है। लाभार्थी बैंक द्वारा प्रवर्तक संबंधी सूचना का उपयोग संदिग्ध लेनदेनों की पहचान करने तथा उसकी सूचना एफआइयू-आइएनडी को देने के लिए भी किया जा सकता है । छोटे वायर अंतरणों द्वारा संभावित आतंकवादी वित्तपोषण के खतरे को देखते हुए उद्देश्य यह है कि न्यूनतम प्रारंभिक सीमाओं के सभी वायर अंतरणों का पता लगाने की स्थिति में रहा जाए। तदनुसार, हम यह सूचित करते हैं कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि सभी वायर अंतरणों के साथ निम्नलिखित सूचना हो :

सीमा पार वायर अंतरण

(i) सभी सीमा पार (क्रॉस बॉर्डर) वायर अंतरणों के साथ सटीक और सार्थक प्रवर्तक संबंधी सूचना हो।

- (ii) सीमा पार वायर अंतरणों के साथ दी जानेवाली सूचना में प्रवर्तक का नाम और पता तथा जहां कहीं खाता हो, उस खाते का नंबर दिया जाना चाहिए। खाता न होने की स्थिति में एक विशिष्ट संदर्भ संख्या अवश्य दी जानी चाहिए जो संबंधित देश में प्रचलित हो।
- (iii) जहां किसी एकल प्रवर्तक से कई अलग-अलग अंतरण एक बैच फाइल में इकट्ठे कर दूसरे देश में लाभार्थियों को प्रेषित किये जाते हैं, वहां उन्हें पूर्ण प्रवर्तक संबंधी सूचना शामिल करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते उनमें उक्त (ii) के अनुसार प्रवर्तक की खाता संख्या या विशिष्ट संदर्भ संख्या शामिल हो।
- (iii) भारत सरकार द्वारा धनशोधन निवारण (पीएमएल) नियमावली में 27 अगस्त 2013 की 2013 की अधिसूचना सं. 12 द्वारा अधिसूचित संशोधनों के साथ तथा संशोधित नियम 3 के अनुसार रिपोर्टिंग करनेवाली हर संस्था से ऐसे मामले में 5 लाख रूपए अथवा विदेशी मुद्रा में उसके समकक्ष राशि से अधिक के सीमा पार वायर अंतरणों सहित सभी लेनदेनों के रिकार्ड बनाए रखना अपेक्षित है जहां निधि का या तो मूल स्रोत अथवा गंतव्य स्थान भारत में है। एफआईयू-आइएनडी ने सूचित किया है कि ऐसे सभी लेनदेनों की जानकारी बादवाले महीने की 15 तारीख तक निदेशक, एफआईयू-आइएनडी को भेज दी जाए। सीमा पार वायर अंतरणों की रिपोर्टिंग के लिए एफआईयू-आइएनडी द्वारा पहले ही विकसित और नकदी लेनदेन रिपोर्टों (सीटीआर) के लिए उपयोग में लाया जा रहा लेनदेन आधारित रिपोर्टिंग फार्मेट (टीआरएफ), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) और गैर-लाभकारी संगठन लेनदेन रिपोर्टों (एनटीआर) को प्रयुक्त किया जाए। उक्त जानकारी एफआईयू-आइएनडी द्वारा विकसित एफआईएन नेट-मॉड्यूल में इलेक्ट्रॉनिकली भेज दी जाए।

देशी वायर अंतरण

- (i) रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) और उससे अधिक के सभी देशी वायर अंतरणों के साथ दी जानेवाली सूचना में प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना अर्थात् नाम, पता और खाता संख्या आदि शामिल की जानी चाहिए, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जब लाभार्थी बैंक को अन्य माध्यमों से प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हो।

(ii) यदि किसी बैंक के पास यह मानने का कोई कारण हो कि ग्राहक जानबूझकर सूचना देने या निगरानी से बचने के उद्देश्य से रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) से कम के विभिन्न लाभार्थियों को वायर अंतरण कर रहा है तो बैंक को उक्त अंतरण करने के पहले ग्राहक की पूरी पहचान पर अवश्य जोर देना चाहिए। ग्राहक द्वारा सहयोग न किये जाने के मामले में उसकी पहचान का पता लगाना चाहिए तथा एफआइयू - आइएनडी को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दी जानी चाहिए।

(iii) जब धन के अंतरण के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तब संदेश में उक्त (i) के अनुसार आवश्यक सूचना शामिल की जानी चाहिए।

छूट

जहां प्रवर्तक और लाभार्थी दोनों बैंक या वित्तीय संस्थाएं हों वहां अंतर बैंक अंतरणों और निपटानों को उपर्युक्त अपेक्षाओं से छूट होगी ।

(ग) आदेशकर्ता, मध्यवर्ती और लाभार्थी बैंकों की भूमिका

(i) आदेशकर्ता बैंक

आदेशकर्ता बैंक वह है जो अपने ग्राहक द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार वायर अंतरण का प्रवर्तन करता है। आदेशकर्ता बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित वायर अंतरणों में प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना हो। बैंक को भी सूचना का सत्यापन करना चाहिए तथा उसे कम-से-कम दस वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखना चाहिए ।

(ii) बिचौलिया (इंटरमिडियरी) बैंक

सीमा पार तथा देशी वायर अंतरणों दोनों के लिए वायर अंतरणों की श्रृंखला के मध्यवर्ती तत्व की प्रोसेसिंग करनेवाले बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वायर अंतरण के साथ दी गयी समस्त प्रवर्तक सूचना अंतरण के साथ बनाये रखी जाती है । जहां तकनीकी सीमाओं के कारण सीमा पार के वायर अंतरण के साथ दी गयी पूर्ण प्रवर्तक सूचना संबंधित देशी वायर अंतरण के साथ बनायी रखी नहीं जा सकती, वहां प्रवर्तक बैंक से प्राप्त सभी सूचना का प्राप्तकर्ता मध्यवर्ती बैंक द्वारा कम-से-कम पांच वर्ष

(जैसा कि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपेक्षित है) के लिए रिकार्ड रखा जाना चाहिए ।

(iii) लाभार्थी बैंक

लाभार्थी बैंक में कारगर जोखिम आधारित क्रियाविधियां होनी चाहिए जिनसे पूर्ण प्रवर्तक सूचना रहित वायर अंतरणों का पता लगाया जा सके। पूर्ण प्रवर्तक सूचना के अभाव को कोई वायर अंतरण या संबंधित लेनदेन संदिग्ध है या नहीं तथा उसकी सूचना फाइनेंशल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को दी जानी चाहिए या नहीं इसका निर्धारण करने के तत्व के रूप में समझा जाना चाहिए । यदि लेनदेन के साथ निधियों के प्रेषक की विस्तृत सूचना नहीं दी गयी है तो लाभार्थी बैंक को आदेशकर्ता बैंक के साथ भी मामले को उठाना चाहिए । यदि आदेशकर्ता बैंक प्रेषक के संबंध में सूचना नहीं देता तो लाभार्थी बैंक को चाहिए कि वह आदेशकर्ता बैंक के साथ अपने कारोबारी संबंध को सीमित या समाप्त कर देने तक पर विचार करे ।

2.17 प्रधान अधिकारी

(क) बैंक किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करने के लिए नियुक्त करें। प्रधान अधिकारी बैंक के मुख्य / कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित होगा तथा उस पर सभी लेन-देनों की निगरानी तथा रिपोर्टिंग तथा कानून के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी के अदान-प्रदान का दायित्व होगा। इस अधिकारी को प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों तथा किसी अन्य संस्था, जो कि धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष में शामिल है, के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना होगा। प्रधान अधिकारी को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से यह सूचित किया जाता है कि प्रधान अधिकारी तथा अन्य उचित स्टाफ को ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी तथा ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी बरतने संबंधी (सीडीडी) अन्य जानकारी, लेनदेन संबंधी रिकार्ड और अन्य संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधान अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य करने में तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को अथवा निदेशक बोर्ड को रिपोर्टिंग करने में सक्षम है। प्रधान अधिकारी की भूमिका तथा दायित्वों में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) /धनशोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) पर समय-समय पर जारी विनियामक दिशानिर्देशों तथा धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए तथा समय-समय पर संशोधित नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत दायित्वों का पर्यवेक्षण तथा उनका समग्र

अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल होना चाहिए। एफआइयू - आइएनडी को समय पर सीटीआर, एसटीआर रिपोर्टें तथा जाली नोटों की सूचना प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व प्रधान अधिकारी का होगा।

2.18 नामित निदेशक

धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम 2012 के लागू होने तथा अधिनियम की धारा 13 में "जुर्माना लगाने के लिए निदेशक के अधिकार" का प्रावधान करते हुए संशोधन करने के कारण धारा 13(2) का पाठ अब निम्नानुसार होगा:

"किसी भी जांच के दौरान यदि निदेशक यह पाता है कि रिपोर्टिंग संस्था या बोर्डमें उसका नामित निदेशक या उसका कोई कर्मचारी इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले दायित्वों का अनुपालन करने में असफल रहता है तब इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत संभावित किसी अन्य कार्रवाई को प्रभावित किए बिना वह -

- लिखित में चेतावनी जारी कर सकता है; या*
- ऐसी संस्था या बोर्ड में नामित निदेशक या उसके किसी कर्मचारी को विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करने का निदेश दे सकता है; या*
- ऐसी संस्था या बोर्ड में नामित निदेशक या उसके किसी कर्मचारी को उसके द्वारा किए जाने वाले उपायों के संबंध में निर्धारित अंतराल पर रिपोर्ट भेजने के निदेश दे सकता है या*
- ऐसी संस्था या बोर्ड में नामित निदेशक या उसके किसी कर्मचारी पर आदेश जारी करके जुर्माना लगा सकता है जो प्रत्येक चूक के लिए 10 हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन उसे बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जा सकता है।*

उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, बैंक, धनशोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपने दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने बोर्ड पर "नामित निदेशक" के रूप में एक निदेशक को नामित करें।

2.19 लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव/ परिरक्षण की जानेवाली सूचना/रिकार्डों का परिरक्षण और रखरखाव/वित्तीय आसूचना इकाई - भारत को नकदी और संदिग्ध लेनदेनों की रिपोर्टिंग

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने भारत के राजपत्र में 1 जुलाई 2005 की अधिसूचना द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत नियमावली को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंध 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हो गये। धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार बैंकिंग कंपनियों पर

ग्राहकों के खातों की सूचना के परिरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में कुछ दायित्व रखे गये हैं। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के उपबंध पढ़ें तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जानेवाले सभी कदम उठाएँ ।

(क) लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव

बैंकों को चाहिए कि वे धनशोधन निवारण नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित लेनदेनों का उचित रिकार्ड रखने की प्रणाली शुरू करें जैसा कि नीचे बताया गया है :

- (i) विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले अथवा उसके समकक्ष मूल्य के सभी नकद लेनदेन;
- (ii) समग्र रूप में एक दूसरे से संबद्ध नकद लेनदेनों की सभी शृंखलाएँ जिनका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से कम अथवा उसके समकक्ष किया गया है जहाँ ऐसे लेनदेन एक महीने के भीतर घटित हुए हैं और ऐसे लेनदेनों का कुल मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो जाता है;
- (iii) ऐसे सभी नकद लेनदेन जहाँ नकली और जाली करेंसी नोटों या बैंक नोटों का प्रयोग असली नोटों के रूप में किया गया है तथा जहाँ किसी मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी की गई है; और
- (iv) सभी संदिग्ध लेनदेन चाहे नकदी में किये गये हैं या नहीं तथा उक्त नियमों के अंतर्गत उल्लिखित रूप में किये गये हैं ।

स्पष्टीकरण - ऊपर (ख) में उल्लिखित आपस में जुड़े नकद लेनदेन

अप्रैल के माह के दौरान किसी शाखा में निम्नलिखित लेनदेन हुए हैं :

तारीख	माध्यम	नामे (रुपये में)	जमा (रुपये में)	आगे लाया गया शेष (रुपये में)
				- 8,00,000.00
02/04/2008	नकद	5,00,000.00	3,00,000.00	6,00,000.00
07/04/2008	नकद	40,000.00	2,00,000.00	7,60,000.00
08/04/2008	नकद	4,70,000.00	1,00,000.00	3,90,000.00
मासिक संकलन		10,10,000.00	6,00,000.00	

उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में जो नामे लेनदेन हैं वे आपस में जुड़े नकद लेनदेन हैं क्योंकि कैलेंडर माह के दौरान कुल नकद नामे लेनदेन 10 लाख रुपये से अधिक हैं। तथापि, बैंक को केवल 02/04/2008 तथा 08/04/2008 को हुए लेनदेन को रिपोर्ट करना चाहिए। 07/04/2008 के नामे लेनदेन को बैंक अलग से रिपोर्ट नहीं करे क्योंकि वह 50,000/- रुपये से कम है। उपर्युक्त उदाहरण में दिए गए सभी जमा लेनदेनों को आपस में जुड़ा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि माह के दौरान जमा लेनदेन का कुल योग दस लाख रुपये से अधिक नहीं है। अतः, 02, 07 तथा 08/04/2008 के जमा लेनदेन बैंकों द्वारा रिपोर्ट नहीं किए जाने चाहिए।

(ख) परिरक्षण की जानेवाली सूचना

बैंकों से अपेक्षित है कि वे नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों के संबंध में निम्नलिखित सूचना का परिरक्षण करें :

- (क) लेनदेनों का स्वरूप;
- (ख) लेनदेन की राशि और वह मुद्रा जिसमें उसका मूल्यवर्गीकरण किया गया;
- (ग) वह तारीख जब वह लेनदेन संचालित किया गया; तथा
- (घ) लेनदेन के पक्षकार।

(ग) रिकार्डों का परिरक्षण और रखरखाव

(i) बैंकों से अपेक्षित है कि वे उपर्युक्त नियम 3 में संदर्भित लेनदेनों के संबंध में सूचना के साथ रिकार्ड (हार्ड तथा सॉफ्ट दोनों ही में) रखने चाहिए। बैंकों को लेखों संबंधी सूचना के उचित रखरखाव और परिरक्षण की ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि इससे आवश्यकता पड़ने पर या जब भी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इनके लिए अनुरोध किया जाए तब आसानी से और तुरंत आँकड़े पुनः प्राप्त हो सकें। साथ ही, बैंक, ग्राहक और बैंक के बीच लेनदेन के बंद होने की तारीख से कम से कम पांच वर्षों तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के लेनदेनों के सभी आवश्यक रिकार्डों का अनुरक्षण करें, जिससे अलग-अलग लेनदेनों के पुनर्निर्माण (शामिल राशि तथा यदि कोई विदेशी मुद्रा हो तो उसके प्रकार सहित) में मदद मिलेगी ताकि यदि जरूरत पड़े तो आपराधिक गतिविधियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य प्रदान किया जा सके।

(ii) बैंक यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक द्वारा खाता खोलते समय तथा कारोबारी संबंध बने रहने के दौरान उसकी पहचान और पते के संबंध में प्राप्त अभिलेख (जैसे पासपोर्टों, पहचान पत्रों, ड्राइविंग लाइसेंसों, पैन कार्ड, उपभोक्ता बिलों जैसे दस्तावेजों आदि की प्रतिलिपियाँ) कारोबारी संबंध के समाप्त हो जाने के बाद कम से कम दस वर्ष तक उचित रूप में सुरक्षित रखे जाएँ। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर पहचान के रिकार्ड और लेनदेन के आँकड़े उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(iii) इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.8 में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन और लेनदेन के ऐसे असामान्य स्वरूप की ओर विशेष ध्यान दें जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा विधि सम्मत प्रयोजन न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक संभव हो ऐसे लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेज / कार्यालयीन अभिलेख / ज्ञापन सहित उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके प्रयोजन की जांच की जाए तथा शाखा तथा प्रधान अधिकारी दोनों स्तर पर प्राप्त निष्कर्षों को उचित रूप से रिकार्ड किया जाए। लेनदेन की संवीक्षा से संबंधित दिन-प्रति-दिन का कार्य करने में लेखा परीक्षकों की सहायता के लिए तथा रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भी ऐसे रिकार्ड तथा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएँ। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षा के अनुसार इन अभिलेखों को पांच वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाना है।

(घ) वित्तीय आसूचना इकाई - भारत को रिपोर्टिंग:

(i) यह सूचित किया जाता है कि पीएमएलए नियमों के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे नकदी और संदेहास्पद लेनदेनों की सूचना निम्नांकित पते पर निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई -भारत (एफआइयू - आइएनडी) को दें:

निदेशक, एफआइयू - आइएनडी,
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट - इंडिया,
6ठी मंजिल, होटल सम्राट,
चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली - 110 021
वेबसाइट- <http://fiuindia.gov.in/>

(ii) बैंक अनुबंध II में दिये गये सभी रिपोर्टिंग फार्मेटों को ध्यान से पढ़ें अर्थात् i) नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर); ii) सीटीआर का सारांश; iii) सीटीआर - इलैक्ट्रॉनिक फाइल संरचना; iv) संदिग्ध लेनदेन

रिपोर्ट (एसटीआर); v) एसटीआर - इलेक्ट्रॉनिक फाइल संरचना; vi) नकली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर); vii) सीसीआर का सारांश; viii) सीसीआर - इलेक्ट्रॉनिक फाइल संरचना और गैर xi) लाभकारी संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर)। रिपोर्ट करने के फॉर्मों में रिपोर्टों के संकलन तथा एफआइयू - आइएनडी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके /प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने के संबंध में यथाशीघ्र पहल करें। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिपोर्टें तैयार करने के लिए संबंधित फॉर्मों के अनुदेश वाले भाग में संबंधित हार्डवेयर और तकनीकी आवश्यकता, संबंधित डाटा फाइलें तथा उनकी डाटा संरचना दी गई हैं। नए एक्सएमएल रिपोर्टिंग फॉर्मेट में रिपोर्टें अपलोड करने के लिए बैंक एफआइएनवेट गेटवे का प्रयोग कर सकते हैं।

(iii) एफआइयू-आइएनडी ने अपनी वेबसाइट पर एडिटेबल इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटीज डाली है ताकि ऐसे बैंक नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर सकें जो अपने लेनदेन के सामान्य आँकड़ों से सीटीआर / एसटीआर बनाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी साधन स्थापित नहीं कर पाये हैं। अतः यह सूचित किया जाता है कि उन बैंकों के मामले में जहां सभी शाखाएं अभी तक पूर्णतः कंप्यूटरीकृत नहीं हुई हैं, बैंक के प्रधान अधिकारी को चाहिए कि वे कंप्यूटरीकृत नहीं हुई शाखाओं से लेनदेन के ब्यौरों को छांटकर, उन्हें एफआइयू-आइएनडी द्वारा अपनी वेबसाइट <http://fiuindia.gov.in> पर उपलब्ध कराई गयी सीटीआर/एसटीआर की एडिटेबल इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटीज की सहायता से एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल में डालने की उपयुक्त व्यवस्था करें।

(ड) इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.3(ख) में निहित अनुदेशों के अनुसार बैंकों को जोखिम वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक ग्राहक का एक प्रोफाइल तैयार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पैराग्राफ 2.8 के अनुसार जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अतः, इस बात को दोहराया जाता है कि लेनदेन निगरानी व्यवस्था के एक भाग के रूप में बैंकों को एक ऐसा उपयुक्त सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन स्थापित करना चाहिए जो ग्राहक के अद्यतन प्रोफाइल तथा जोखिम वर्गीकरण से असंगत लेनदेन होने पर सतर्कता का संकेत दें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सतर्कता के संकेत देनेवाला एक सक्षम सॉफ्टवेयर संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान तथा रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है।

(च) बैंकों के अध्यक्षों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे बैंक अधिकारियों द्वारा एएमएल/पीएमएलए दिशानिर्देशों के प्रावधानों के पालन पर व्यक्तिगत रूप से निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि प्रणालियां एवं कार्यविधियां स्थापित की गई हैं और अनुदेशों को परिचालनात्मक स्तर पर अपनाया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्धारित कार्यविधियां एवं दिशानिर्देशों के हेतुतः उल्लंघन एवं गंभीर कमियों के लिए जवाबदेही निर्धारित करने की उचित प्रणाली विद्यमान है।

(ए) नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)

सम्बन्धित फॉर्मेट के अनुदेश वाले हिस्से में सभी प्रकार की रिपोर्टें फाइल करने के अनुदेश दिये गये हैं। बैंकों को निम्नलिखित का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए:

(i) प्रत्येक माह की नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) अगले महीने की 15वीं तारीख तक एफआइयू - आइएनडी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए। अतः शाखाओं को अपने नियंत्रक कार्यालयों को नकद लेनदेन की सूचना अनिवार्य रूप से मासिक आधार पर (पखवाड़े के आधार पर नहीं) भेजनी चाहिए तथा बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक माह नकदी लेनदेन रिपोर्ट एफआइयू-एनडी को निर्धारित समय में भेज दी जाती है।

(ii) जहां जाली अथवा नकली भारतीय मुद्रा नोटों का असली के रूप में उपयोग किया गया हो, वहां ऐसे सभी नकद लेनदेनों की सूचना प्रधान अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट (जाली मुद्रा रिपोर्ट - सीसीआर) में एफआइयू-आइएनडी को तत्काल भेजी जानी चाहिए। इन नकद लेनदेनों में ऐसे लेनदेन भी शामिल होने चाहिए जहां मूल्यवान प्रतिभूति अथवा दस्तावेजों की जालसाजी की गई है और यह एफआइयू-आइएनडी को रिपोर्ट की जाए।

(iii) सीटीआर फाइल करते समय, पचास हजार रुपये से कम राशि के अलग-अलग लेनदेनों को शामिल न किया जाए।

(iv) सीटीआर में केवल वही लेनदेन होने चाहिए जो बैंक ने अपने ग्राहकों की ओर से किए हैं। बैंक के आंतरिक खातों के बीच किए गए लेनदेन इसमें शामिल नहीं होंगे।

(v) बैंक का प्रधान अधिकारी समय रूप से बैंक के लिए सभी सीटीआर (नकदी लेनदेनों की रिपोर्ट) का सारांश विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार संकलित करेगा। उक्त सारांश पर प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा इसे दस्ती सुपुर्दगी एवं ईलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग दोनों के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ख) संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)

(i) संदिग्ध लेनदेन का निर्धारण करते समय बैंक समय समय पर संशोधित धन शोधन निवारण नियमावली में निहित 'संदिग्ध लेनदेन' की परिभाषा को ध्यान में रखें ।

(ii) यह संभव है कि कुछ मामलों में ग्राहकों को कुछ ब्योरे देने अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर ग्राहक अपने लेनदेन का परित्याग करे अथवा उसे बीच में ही रोक दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को एसटीआर में लेनदेन के ऐसे सभी प्रयासों के संबंध में सूचना देनी चाहिए, भले ही ग्राहकों ने इन लेनदेनों को अधूरा ही क्यों न छोड़ दिया हो।

(iii) बैंक लेनदेनों की राशि पर तथा /अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग - ख में विधेय अपराधों के लिए परिकल्पित न्यूनतम सीमा पर ध्यान दिए बिना एसटीआर तब बनाए जब उनके पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि लेनदेन में सामान्यतः अपराध से प्राप्त राशि सम्मिलित है।

(iv) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंक को जब वह यथोचित सीडीडी उपाय करने में असमर्थ हो तो खाता खोलना नहीं चाहिए (अथवा विद्यमान खाते को बंद करने पर विचार करना चाहिए)। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे परिस्थिति में कि कोई बैंक यह मानता हो कि वह खाताधारी की सही पहचान जानने के संबंध में वह कतई आश्वस्त नहीं है, बैंक को एफआईयू - आईएनडी के पास एक एसटीआर दायर करना चाहिए।

(v) कोई भी लेनदेन चाहे नकदी हो या नकदी से इतर या लेनदेनों की एक श्रृंखला जो समग्रतः आपस में जुड़े हों, संदिग्ध स्वरूप के हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के 7 दिनों के भीतर संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत कर देनी चाहिए। प्रधान अधिकारी को वे कारण रिकार्ड करने चाहिए जिनके आधार पर किसी लेनदेन या लेनदेनों की श्रृंखला को संदिग्ध माना गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि एक बार

किसी शाखा या अन्य कार्यालय से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ऐसे किसी निर्णय पर पहुँचने में अनावश्यक देरी नहीं होती है। ऐसी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध करायी जाए।

(vi) स्टाफ को अपने ग्राहक को जानिए /धन शोधन निवारण के संबंध में जागरूक बनाने के लिए तथा संदिग्ध लेनदेन के लिए सतर्कता संकेत तैयार करने के लिए बैंक 'बैंकों के लिए आइबीए के मार्गदर्शी नोट 2012' के अनुबंध (ड) में निहित संदिग्ध गतिविधियों की निदर्शी सूची देखें।

(vii) बैंक उन खातों पर कोई प्रतिबंध न लगाएं जहां एसटीआर रिपोर्ट भेजी गई है। बैंक तथा उसके कर्मचारियों को चाहिए कि वे एसटीआर रिपोर्ट भेजी जाने की बात को बहुत ही गोपनीय रखें जैसा कि पीएमएलए नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है। इस पर भी, यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहक को किसी भी स्तर से गुप्त रूप से सचेत (टिपिंग ऑफ़) नहीं किया जाए।

(ग) गैर लाभकारी संगठन

प्रत्येक माह में गैर-लाभकारी संगठनों के दस लाख रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में उसकी समतुल्य राशि से अधिक मूल्य की प्राप्तियों वाले सभी लेनदेनों की रिपोर्ट निर्धारित फॉर्मेट में अगले महीने की 15वीं तारीख तक निदेशक, एफआइयू - आइएनडी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

2.20 ग्राहक शिक्षण / कर्मचारियों का प्रशिक्षण / कर्मचारियों की भर्ती

(क) ग्राहक शिक्षण

'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधि के कार्यान्वयन के संदर्भ में बैंकों के लिए ग्राहकों से कुछ ऐसी जानकारी मांगना आवश्यक होता है जो वैयक्तिक स्वरूप की हो अथवा जिसकी इसके पहले कभी मांग न की गयी हो। इससे कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहक ऐसी जानकारी माँगने के उद्देश्य तथा प्रयोजन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे । अतः ग्राहक को 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक संबंधित विशिष्ट साहित्य/ प्रचार-पुस्तिका आदि तैयार करें। फ्रंट डेस्क स्टाफ को ग्राहकों के साथ बातचीत करते समय ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(ख) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

बैंकों को लगातार कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि स्टाफ-सदस्य 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन (कंप्लायंस) स्टाफ तथा नये ग्राहक के साथ व्यवहार करने वाले स्टाफ को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के केंद्र बिंदु अलग-अलग होने चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी संबंधित स्टाफ-सदस्य 'अपने ग्राहक को जानिए' नीतियों के औचित्य को पूरी तरह समझते हैं और उनका निरंतर कार्यान्वयन करते हैं ।

(ग) कर्मचारियों की भर्ती

यह ध्यान में रखा जाए कि 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड /धनशोधन निवारण /आतंकवाद वित्तपोषण प्रतिरोध उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं ताकि अपराधी बैंकिंग सरणि का दुरुपयोग न कर सकें। अतः बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे कार्मिकों की युक्ति/ नियोजन की अपनी प्रक्रिया के एक अविभाज्य भाग के रूप में समुचित स्क्रीनिंग प्रणाली स्थापित करें।

खाते खोलने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सांकेतिक सूची

पहलू	दस्तावेज
<p>व्यक्तियों के खाते</p> <ul style="list-style-type: none"> - विधिक नाम और प्रयोग में लाए गए अन्य नाम - सही स्थायी पता 	<p>(i) पासपोर्ट (ii) पैन कार्ड (iii) मतदाता पहचान पत्र (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v) राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड (vi) भारत विशिष्टा पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया गया पत्र जिसमें नाम, पता तथा आधार संख्या दी गई है (vii) पहचान पत्र (बैंक के संतुष्ट होने की शर्त पर) (viii) बैंक की संतुष्टि के लिए मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी या सरकारी कर्मचारी द्वारा ग्राहक के पहचान तथा निवास को सत्यापित करता हुआ पत्र।</p> <p>(i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरण (iii) किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी से पत्र (iv) बिजली का बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता से पत्र (बैंक के संतुष्ट होने की शर्त पर) (vii) राज्य सरकार या उसके समान पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत किराया करार, जिसमें ग्राहक का पता दिया गया हो।</p> <p>(ऐसा कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है जो बैंक को ग्राहक की जानकारी के संबंध में संतुष्ट करता हो)</p>
<p>कंपनियों के खाते</p> <ul style="list-style-type: none"> - कंपनी का नाम - व्यवसाय का प्रमुख स्थान - कंपनी का डाक पता - टेलीफोन/फैक्स संख्या 	<p>(i) निगमन और संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम के संबंध में प्रमाणपत्र (ii) खाता खोलने के संबंध में निदेशक बोर्ड का प्रस्ताव और जिन्हें खाता चलाने का अधिकार है उनकी पहचान (iii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) पैन आबंटन पत्र की प्रतिलिपि (v) टेलीफोन बिल की प्रतिलिपि</p>
<p>भागीदारी फर्म के खाते</p> <ul style="list-style-type: none"> - विधिक नाम - पता - भागीदारों के नाम और पते - फर्म और भागीदारों के टेलीफोन नंबर 	<p>(i) पंजीकरण प्रमाणपत्र यदि पंजीकृत हो (ii) भागीदारी विलेख (iii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु किसी भागीदार या फर्म के कर्मचारी को प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) भागीदारों और मुख्तारनामा धारित व्यक्तियों और उनके पते की पहचान कराता कोई भी अधिकारिक वैध दस्तावेज</p> <p>(v) फर्म/भागीदारों के नाम, टेलीफोन बिल</p>
<p>न्यासों और फाउंडेशनों के खाते</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - न्यासियों, सेटलर्स लाभार्थी और हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम - संस्थापकों, प्रबंधकों / निदेशकों और लाभार्थी के नाम और पते - टेलीफोन/ फैंक्स नंबर 	<p>(i) पंजीकरण प्रमाण यदि पंजीकृत हो (ii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु प्रदत्त मुख्तारनामा (iii) न्यासियों, सेटलर्स, हितार्थी और मुख्तारनामा धारित व्यक्तियों, संस्थापकों /प्रबंधकों /निदेशकों और उनके पते की पहचान कराता कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (iv) फाउंडेशन/ एसोसिएशन के प्रबंधन निकाय का प्रस्ताव (v) टेलीफोन बिल</p>
<p>मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते नाम का प्रमाण, प्रतिष्ठान का पता तथा कार्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> • पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में), • दुकान और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस • बिक्री और आयकर रिटर्न • सीएसटी/वीएटी प्रमाणपत्र • बिक्री कर /सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र / पंजीकरण दस्तावेज • पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंडियन मेडिकल कौंसिल, खाद्य और औषधि नियंत्रण प्राधिकारी आदि द्वारा जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार प्राधिकारी/ विभाग द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर जारी किया गया पंजीकरण/लाइसेंसिंग दस्तावेज। बैंक डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान को जारी की गई आयातक निर्यातक कूट संख्या (आईईसी), का भी बैंक खाता आदि खोलनेके लिए पहचान प्रलेख के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। • आय कर प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित/ स्वीकृत एकल स्वामी के नाम में पूर्ण आयकर विवरणी (न कि सिर्फ पावती), जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो। • स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता सेवा बिल । <p>उपर्युक्त में से कोई दो दस्तावेज पर्याप्त होंगे । दस्तावेज़ मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से होने चाहिए ।</p>

रिपोर्टिंग फार्मेट की सूची

1. नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)
2. सीटीआर का सारांश
3. सीटीआर - इलेक्ट्रॉनिक फाइल संरचना
4. संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)
5. इलेक्ट्रॉनिक फाइल संरचना -एसटीआर
6. नकली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर)
7. सीसीआर का सारांश
8. सीसीआर - इलेक्ट्रॉनिक फाइल संरचना
9. गैर लाभकारी संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर)

File No.17015/10/2002-IS-VI
Government of India
Ministry of Home Affairs
Internal Security-I Division

New Delhi, dated 27th August, 2009

ORDER

**Subject : Procedure for implementation of Section 51A of the Unlawful Activities
(Prevention)Act, 1967**

The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) has been amended and notified on 31.12.2008, which, inter-alia, inserted Section 51A to the Act. Section 51A reads as under:-

"51A. For the prevention of, and for coping with terrorist activities, the Central Government shall have power to -

(a) freeze, seize or attach funds and other financial assets or economic resources held by, on behalf of or at the direction of the individuals or entities Listed in the Schedule to the Order, or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism;

(b) prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the individuals or entities Listed in the Schedule to the Order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism;

(c) prevent the entry into or the transit through India of individuals Listed in the Schedule to the Order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism";

The Unlawful Activities (Prevention) Act define "Order" as under:-

"Order" means the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, as may be amended from time to time.

In order to expeditiously and effectively implement the provisions of Section 51A, the following procedures shall be followed:-

Appointment and Communication of details of UAPA nodal officers

2. As regards appointment and communication of details of UAPA nodal officers -

(i) The UAPA nodal officer for IS-I division would be the Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs. His contact details are 011-23092736(Tel), 011-23092569(Fax) and e-mail.

(ii) The Ministry of External Affairs, Department of Economic Affairs, Foreigners Division of MHA, FIU-IND; and RBI, SEBI, IRDA (hereinafter referred to as Regulators) shall appoint a UAPA nodal officer and communicate the name and contact details to the IS-I Division in MHA.

(iii) The States and UTs should appoint a UAPA nodal officer preferably of the rank of the Principal Secretary/Secretary, Home Department and communicate the name and contact details to the IS-I Division in MHA.

(iv) The IS-I Division in MHA would maintain the consolidated list of all UAPA nodal officers and forward the list to all other UAPA nodal officers.

(v) The RBI, SEBI, IRDA should forward the consolidated list of UAPA nodal officers to the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies respectively.

(vi) The consolidated list of the UAPA nodal officers should be circulated to the nodal officer of IS-I Division of MHA in July every year and on every change. Joint Secretary(IS-I), being the nodal officer of IS-I Division of MHA, shall cause the amended list of UAPA nodal officers to be circulated to the nodal officers of Ministry

of External Affairs, Department of Economic Affairs, Foreigners Division of MHA, RBI, SEBI, IRDA and FIU-IND.

Communication of the list of designated individuals/entities

3. As regards communication of the list of designated individuals/entities-

- (i) The Ministry of External Affairs shall update the list of individuals and entities subject to UN sanction measures on a regular basis. On any revision, the Ministry of External Affairs would electronically forward this list to the Nodal Officers in Regulators, FIU-IND, IS-I Division and Foreigners' Division in MHA.
- (ii) The Regulators would forward the list mentioned in (i) above (referred to as designated lists) to the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies respectively.
- (iii) The IS-I Division of MHA would forward the designated lists to the UAPA nodal officer of all States and UTs.
- (iv) The Foreigners Division of MHA would forward the designated lists to the immigration authorities and security agencies.

Regarding funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc.

4. As regards funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc., the Regulators would forward the designated lists to the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies respectively. The RBI, SEBI and IRDA would issue necessary guidelines to banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies requiring them to -

- (i) Maintain updated designated lists in electronic form and run a check on the given parameters on a regular basis to verify whether individuals or entities listed in the schedule to the Order (referred to as designated individuals/entities) are holding any funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc. with them.

- (ii) In case, the particulars of any of their customers match with the particulars of designated individuals/entities, the banks, stock exchanges/ depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies shall immediately, not later than 24 hours from the time of finding out such customer, inform full particulars of the funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc. held by such customer on their books to the Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs, at Fax No.011-23092569 and also convey over telephone on 011-23092736. The particulars apart from being sent by post should necessarily be conveyed on e-mail.
- (iii) The banks, stock exchanges/ depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies shall also send by post a copy of the communication mentioned in (ii) above to the UAPA nodal officer of the state/ UT where the account is held and Regulators and FIU0IND, as the case may be.
- (iv) In case, the match of any of the customers with the particulars of designated individuals/entities is beyond doubt, the banks stock exchanges / depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies would prevent designated persons from conducting financial transactions, under intimation to Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs, at Fax No. 011-23092569 and also convey over telephone on 011-23092736. The particulars apart from being sent by post should necessarily be conveyed on e-mail.
- (v) The banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies shall file a Suspicious Transaction Report (STR) with FIU-IND covering all transactions in the accounts covered by paragraph (ii) above , carried through or attempted, as per the prescribed format.

5. On receipt of the particulars referred to in paragraph 3(ii) above, IS-I Division of MHA would cause a verification to be conducted by the State Police and/or the Central Agencies so as to ensure that the individuals/entities identified by the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and Insurance Companies are the ones listed as designated individuals/entities and the funds, financial assets or economic resources or related services, reported by banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies are

held by the designated individuals/entities. This verification would be completed within a period not exceeding 5 working days from the date of receipt of such particulars.

6. In case, the results of the verification indicate that the properties are owned by or held for the benefit of the designated individuals/entities, an order to freeze these assets under section 51A of the UAPA would be issued within 24 hours of such verification and conveyed electronically to the concerned bank branch, depository, branch of insurance company branch under intimation to respective Regulators and FIU-IND. The UAPA nodal officer of IS-I Division of MHA shall also forward a copy thereof to all the Principal Secretary/Secretary, Home Department of the States or UTs, so that any individual or entity may be prohibited from making any funds, financial assets or economic assets or economic resources or related services available for the benefit of the designated individuals/entities or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism. The UAPA nodal officer of IS-I Division of MHA shall also forward a copy of the order under Section 51A, to all Directors General of Police/Commissioners of Police of all states/UTs for initiating action under the provisions of Unlawful Activities (Prevention) Act.

The order shall take place without prior notice to the designated individuals/entities.

Regarding financial assets or economic resources of the nature of immovable properties

7. IS-I Division of MHA would electronically forward the designated lists to the UAPA nodal officer of all States and UTs with the request to have the names of the designated individuals/entities, on the given parameters, verified from the records of the office of the Registrar performing the work of registration of immovable properties in their respective jurisdiction.

8. In case, the designated individuals/entities are holding financial assets or economic resources of the nature of immovable property and if any match with the designated individuals/entities is found, the UAPA nodal officer of the State/UT would cause communication of the complete particulars of such individual/entity along with complete details of the financial assets or economic resources of the nature of immovable property to the Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs, immediately within 24

hours at Fax No.011-23092569 and also convey over telephone on 011-23092736. The particulars apart from being sent by post should necessarily be conveyed on e-mail.

9. The UAPA nodal officer of the State/UT may cause such inquiry to be conducted by the State Police so as to ensure that the particulars sent by the Registrar performing the work of registering immovable properties are indeed of these designated individuals/entities. This verification would be completed within a maximum of 5 working days and should be conveyed within 24 hours of the verification, if it matches with the particulars of the designated individual/entity to Joint Secretary(IS-I), Ministry of Home Affairs at the Fax telephone numbers and also on the e-mail id given below.

10. A copy of this reference should be sent to the Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs, at Fax No.011-23092569 and also convey over telephone on 011-23092736. The particulars apart from being sent by post would necessarily be conveyed on e-mail. MHA may have the verification also conducted by the Central Agencies. This verification would be completed within a maximum of 5 working days.

11. In case, the results of the verification indicate that the particulars match with those of designated individuals/entities, an order under Section 51A of the UAPA would be issued within 24 hours, by the nodal officer of IS-I Division of MHA and conveyed to the concerned Registrar performing the work of registering immovable properties and to FIU-IND under intimation to the concerned UAPA nodal officer of the State/UT.

The order shall take place without prior notice, to the designated individuals/entities.

12. Further, the UAPA nodal officer of the State/UT shall cause to monitor the transactions/accounts of the designated individual/entity so as to prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the individuals or entities listed in the schedule to the order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism. The UAPA nodal officer of the State/UT shall upon coming to his notice, transactions and attempts by third party immediately bring to the notice of the DGP/Commissioner of Police of the State/UT for also initiating action under the provisions of Unlawful Activities (Prevention) Act.

Implementation of requests received from foreign countries under U.N. Security Council Resolution 1373 of 2001

13. U.N. Security Council Resolution 1373 obligates countries to freeze without delay the funds or other assets of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly by such persons; and of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of such persons and entities, including funds or other assets derived or generated from property owned or controlled, directly or indirectly, by such persons and associated persons and entities. Each individual country has the authority to designate the persons and entities that should have their funds or other assets frozen. Additionally, to ensure that effective cooperation is developed among countries, countries should examine and give effect to, if appropriate, the actions initiated under the freezing mechanisms of other countries.

14. To give effect to the requests of foreign countries under U.N. Security Council Resolution 1373, the Ministry of External Affairs shall examine the requests made by the foreign countries and forward it electronically, with their comments, to the UAPA nodal officer for IS-I Division for freezing of funds or other assets.

15. The UAPA nodal officer of IS-I Division of MHA, shall cause the request to be examined, within 5 working days so as to satisfy itself that on the basis of applicable legal principles, the requested designation is supported by reasonable grounds, or a reasonable basis, to suspect or believe that the proposed designee is a terrorist, one who finances terrorism or a terrorist organization, and upon his satisfaction, request would be electronically forwarded to the nodal officers in Regulators, FIU-IND and to the nodal officers of the States/UTs. The proposed designee, as mentioned above would be treated as designated individuals/entities.

16. Upon receipt of the requests by these nodal officers from the UAPA nodal officer of IS-I Division, the procedure as enumerated at paragraphs 4 to 12 above shall be followed.

The freezing orders shall take place without prior notice to the designated persons involved.

Procedure for unfreezing of funds, financial assets or economic resources or related services of individuals/entities inadvertently affected by the freezing mechanism upon verification that the person or entity is not a designated person

17. Any individual or entity, if it has evidence to prove that the freezing of funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held by them has been inadvertently frozen, they shall move an application giving the requisite evidence, in writing, to the concerned bank, stock exchanges / depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies, Registrar of Immovable Properties and the State/UT nodal officers.

18. The banks stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies, Registrar of Immovable Properties and the State/UT nodal officers shall inform and forward a copy of the application together with full details of the asset frozen given by any individual or entity informing of the funds, financial assets or economic resources or related services have been frozen inadvertently, to the nodal officer of IS-I Division of MHA as per the contact details given in paragraph 4(ii) above within two working days.

19. The Joint Secretary (IS-I), MHA, being the nodal officer for (IS-I) Division of MHA, shall cause such verification as may be required on the basis of the evidence furnished by the individual/entity and if he is satisfied, he shall pass an order, within 15 working days, unfreezing the funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held by such applicant under intimation to the concerned bank, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance company and the nodal officers of States/UTs. However, if it is not possible for any reason to pass an order unfreezing the assets within fifteen working days, the nodal officer of IS-I Division shall inform the applicant.

Communication of Orders under section 51A of Unlawful Activities (Prevention) Act

20. All Orders under section 51A of Unlawful Activities (Prevention) Act, relating to funds, financial assets or economic resources or related services, would be communicated to all banks, depositories/stock exchanges, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies through respective Regulators, and to all the Registrars

performing the work of registering immovable properties, through the State/UT nodal officer by IS-I Division of MHA.

Regarding prevention of entry into or transit through India

21. As regards prevention of entry into or transit through India of the designated individuals, the Foreigners Division of MHA, shall forward the designated lists to the immigration authorities and security agencies with a request to prevent the entry into or the transit through India. The order shall take place without prior notice to the designated individuals/entities.

22. The immigration authorities shall ensure strict compliance of the Orders and also communicate the details of entry or transit through India of the designated individuals as prevented by them to the Foreigners' Division of MHA.

Procedure for communication of compliance of action taken under Section 51A

23. The nodal officers of IS-I Division and Foreigners Division of MHA shall furnish the details of funds, financial assets or economic resources or related services of designated individuals/entities frozen by an order, and details of the individuals whose entry into India or transit through India was prevented, respectively, to the Ministry of External Affairs for onward communication to the United Nations.

24. All concerned are requested to ensure strict compliance of this order.

(D .Diptivilasa)

Joint Secretary to Government of India

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
Notification

New Delhi, the 16th December 2010

GSR ----- (E) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (h) (i), (j) and (k) of sub-section (2) of Section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendments to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Third Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005, -

(a) in rule 2,-

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(bb) “Designated Officer” means any officer or a class of officers authorized by a banking company, either by name or by designation, for the purpose of opening small accounts”.

(ii) in clause (d), for the words “the Election Commission of India or financial institution or intermediary”, the words “Election Commission of India, job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government, the letter issued by the Unique Identification Authority of India containing details of name, address and Aadhaar number or any other document as notified by the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India or any other document as may be required by the banking companies, or financial institution or intermediary” shall be substituted;

(iii) after clause (fa), the following clause shall be inserted, namely:-

(fb) “small account” means a savings account in a banking company where-

- (i) the aggregate of all credits in a financial year does not exceed rupees one lakh,
- (ii) the aggregate of all withdrawals and transfers in a month does not exceed rupees ten thousand, and;
- (iii) the balance at any point of time does not exceed rupees fifty thousand”.

(b) In rule 9, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(2A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), an individual who desires to open a small account in a banking company may be allowed to open such an account on production of a self-attested photograph and affixation of signature or thumb print, as the case may be, on the form for opening the account.

Provided that -

- (i) the designated officer of the banking company, while opening the small account, certifies under his signature that the person opening the account has affixed his signature or thumb print, as the case may be, in his presence;

(ii) a small account shall be opened only at Core Banking Solution linked banking company branches or in a branch where it is possible to manually monitor and ensure that foreign remittances are not credited to a small account and that the stipulated limits on monthly and annual aggregate of transactions and balance in such accounts are not breached, before a transaction is allowed to take place;

(iii) a small account shall remain operational initially for a period of twelve months, and thereafter for a further period of twelve months if the holder of such an account provides evidence before the banking company of having applied for any of the officially valid documents within twelve months of the opening of the said account, with the entire relaxation provisions to be reviewed in respect of the said account after twenty four months.

(iv) a small account shall be monitored and when there is suspicion of money laundering or financing of terrorism or other high risk scenarios, the identity of client shall be established through the production of officially valid documents, as referred to in sub rule (2) of rule 9"; and

(v) foreign remittance shall not be allowed to be credited into a small account unless the identity of the client is fully established through the production of officially valid documents, as referred to in sub-rule (2) of rule 9."

(Notification No.14/2010/F.No.6/2/2007-ES)

(S.R. Meena)
Under Secretary

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sib-Section (i) vide number G.S.R.444 (E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R.717 (E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389(E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R. 816(E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R.76 (E), dated the 12th February, 2010 and number G.S.R. 508(E), dated the 16th June, 2010.

बैंकों द्वारा ई - केवाईसी प्रक्रिया में अनुपालन की जानेवाली परिचालनात्मक क्रियाविधि

यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवा एक सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से बैंकों द्वारा लीवरेज की जा सकती है। कोई भी बैंक जो यूआईडीएआई ई-केवाईसी सेवा का उपयोग करने के लिए तैयार है उसे यूआईडीएआई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

1. यूआईडीएआई के साथ केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) करार पर हस्ताक्षर करें ताकि बैंक ई-केवाईसी सेवा का विशिष्ट रूप से उपयोग करने में सक्षम हो सकें।

2. बैंकों को विभिन्न वितरण चैनलों में ई-केवाईसी सेवा स्थापित करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगाने होंगे। इन्हें यूआईडीएआई के मानकों के अनुसार बैंकों की शाखाओं/ माइक्रो एटीएमों/ बीसी प्वाइंटों पर मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) संस्थान , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित बायोमीट्रिक स्कैनर होना चाहिए। प्रमाणित बायोमीट्रिक स्कैनरों की मौजूदा सूची निम्नलिखित लिंक में दी गई है:

http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/UID_Auth_Certlist_250613.pdf

3. यूआईडीएआई द्वारा परिभाषित एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रोटोकॉल के अनुसार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का विकास करना ताकि विभिन्न ग्राहक सेवा स्थलों (सीएसपी) (बैंक शाखा/ बीसी आदि सहित) पर ई केवाईसी के उपयोग को सक्षम बनाया जा सके। इस प्रयोजनार्थ बैंकों को यूआईडीएआई के व्यापक दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वयं के सॉफ्टवेयर विकसित करना होगा। अतः प्रत्येक बैंकों का सॉफ्टवेयर भिन्न हो सकता है।

4. बैंक के साथ ई-केवाईसी डेटा साझा करने के लिए यूआईडीएआई के लिए ग्राहक प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करें। यह प्राधिकरण समय - समय पर यूआईडीएआई द्वारा परिभाषित **फिजिकल** (एक खाता खोलने के उद्देश्य से बैंकों को उसकी / उसके आधार डेटा को साझा करने के लिए यूआईडीएआई को लिखित स्पष्ट सहमति के माध्यम से अधिकृत करके)/ **इलेक्ट्रॉनिक** फॉर्म में हो सकता है।

5. नमूना प्रक्रिया प्रवाह इस प्रकार होगा:

ए. ग्राहक अपने 12 अंकों आधार नंबर के साथ आधार आधारित ई-केवाईसी के आधार पर एवं स्पष्ट सहमति के साथ बैंक के सीएसपी में आकर एक खाता खोलने का अनुरोध करता है।

बी. सीएसपी चलानेवाला बैंक का प्रतिनिधि बैंक के ई-केवाईसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संख्या प्रवेश करता है।

सी. यूआईडीएआई शिकायत बायोमेट्रिक रीडर के माध्यम से ग्राहक अपनी बायोमेट्रिक्स की प्रविष्टि करता है (उदाहरणार्थ बायोमेट्रिक रीडर पर उंगलियों के निशान)।

डी. बायोमेट्रिक डाटा के साथ आधार संख्या को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, दर्ज कर लेता है एवं आंकड़े को एनक्रिप्ट करके यूआईडीएआई के केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) को भेजता है।

ई. ग्राहक डेटा को आधार केवाईसी सेवा प्रमाणित करती है। यदि संख्या बायोमेट्रिक्स के साथ मेल नहीं खाती है तो यूआईडीएआई सर्वर त्रुटि (यूआईडीएआई द्वारा परिभाषित) के प्रकार के अनुसार विभिन्न कारण कोड दर्शाता है।

एफ. यदि आधार संख्या बायोमेट्रिक्स के साथ मेल खाती है, तो यूआईडीएआई डिजिटली हस्ताक्षरित और जनसांख्यिकीय जानकारी एन्क्रिप्टेड [नाम, जन्म का वर्ष / तिथि, लिंग, पता, फोन और ईमेल (यदि उपलब्ध हो)] और तस्वीर दर्शाता है। यह जानकारी बैंकों के ई-केवाईसी एप्लीकेशन द्वारा दर्ज कर ली जाती है एवं जरूरत के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाती है।

जी. बैंकों का सर्वर संबंधित क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय डेटा और फोटोग्राफ स्वयं ही भर देता है। यह ई-केवाईसी अर्थात् सूचना का स्रोत, डिजिटल हस्ताक्षर, संदर्भ संख्या, मूल रिक्वेस्ट जेनेरेशन संख्या, रिक्वेस्ट जेनेरेट करने के लिए प्रयुक्त मशीन की आईडी, तारीख और समय का स्टैम्प जिसमें मैसेज रूटिंग की पूरी जानकारी हो, यूआईडीएआई एन्क्रिप्शन तारीख और समय, बैंकों की डिक्लिप्शन की तारीख और समय स्टैम्प इत्यादि के साथ हो।

एच. संदर्भ हेतु ग्राहक का फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय विवरण बैंकों की शाखाओं में कंप्यूटर की स्क्रीन पर अथवा उनके एजेन्टों की हस्त धारित डिवाइस में देखे जा सकते हैं।

आई. ग्राहक अपना बैंक खाता खोल सकता है बशर्ते उसने अन्य अपेक्षाएं पूरी कर ली हो।

ए. विदेशी निवेशकों का श्रेणीकरण

श्रेणी	पात्र विदेशी निवेशक
I	सरकार एवं सरकार से संबंधित विदेशी निवेशक जैसे विदेशी केंद्रीय बैंक, सरकारी एजेंसियां, सार्वभौमिक वेल्थ निधि, अंतर्राष्ट्रीय/बहुपक्षीय संगठन/एजेंसियां
II	क. व्यापक आधारवाली यथोचित रूप से विनियमित निधियां जैसे म्युच्युअल फंड, निवेश न्यास बीमा/पुनर्बीमा कंपनियों, अन्य व्यापक आधार वाली निधियां, आदि ख. व्यापक आधारवाली यथोचित रूप से विनियमित संस्थाएं जैसे बैंक, आस्ति प्रबंधन कंपनियों, निवेश प्रबंधक/परामर्शदाता, संविभाग प्रबंधक आदि ग. ऐसी व्यापक आधारवाली निधियां जिनके निवेश प्रबंधक यथोचित रूप से विनियमित है। घ. विश्वविद्यालय निधियां एवं पेंशन निधियां इ. सेबी के पास पहले ही पंजीकृत विश्वविद्यालय संबंधित एण्डोमेंट्स जैसे एफआईआई/उप खाते
III	श्रेणी I और II के अंतर्गत पात्र न रहनेवाले पीआइएस के मार्ग के अंतर्गत भारत में निवेश करनेवाले पात्र अन्य सभी पात्र विदेशी निवेशक जैसे - धर्मादा (एण्डोमेंट), धर्मार्थ समितियां / न्यास, कारपोरेट निकाय, न्यास, व्यक्ति, पारिवारिक कार्यालय आदि ।

बी. पीआइएस के अंतर्गत पात्र एफपीआई के लिए केवाईसी प्रलेख

प्रलेख का प्रकार		एफपीआई का प्रकार		
		श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III
संस्था के स्तर पर	विधान प्रलेख (जापन पत्र तथा संस्था के अंतर्नियम, निगमित किए जाने आदि संबंधी प्रमाणपत्र)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	पते का प्रमाण	पते के उल्लेख वाला मुख्तारनामा (पीओए) पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है।	पते के उल्लेख वाला मुख्तारनामा (पीओए) पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है।	मुख्तारनामा से इतर अनिवार्य
	पैन कार्ड	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	वित्तीय डाटा	छूट प्राप्त*	छूट प्राप्त*	अनिवार्य
	सेबी का पंजीयन प्रमाणपत्र	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	बोर्ड का संकल्प	छूट प्राप्त*	अनिवार्य	अनिवार्य
	सूची	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य

वरिष्ठ प्रबंधा तंत्र (पूर्णकालिक निदेशक/साझेदार/ न्यासी/ आदि)	पते की पहचान	छूट प्राप्त*	छूट प्राप्त*	संस्था पत्र शीर्ष पर पूरा नाम, राष्ट्रिकता, जन्म तिथि घोषित* करती है अथवा फोटे पहचान प्रमाण प्रस्तुत करती है
	पते का प्रमाण	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	पत्र शीर्ष पर घोषणा*
	फोटोग्राफ	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त
प्राधिकृत हस्ताक्षरी	सूची और हस्ताक्षर	अनिवार्य - वैश्विक अभिरक्षक के मामले में अनिवार्य - वैश्विक अभिरक्षकों की सूची दी जाए।	अनिवार्य - वैश्विक अभिरक्षक के मामले में अनिवार्य - वैश्विक अभिरक्षकों की सूची दी जाए।	अनिवार्य
	पहचान का प्रमाण	छूट प्राप्त*	छूट प्राप्त*	अनिवार्य
	पते का प्रमाण	छूट प्राप्त*	छूट प्राप्त*	पत्र शीर्ष पर घोषणा*
	फोटोग्राफ	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त*
अंतिम लाभार्थी स्वामी	सूची	छूट प्राप्त*	अनिवार्य (25% के ऊपर कोई यूबीओ नहीं घोषित करा सकते हैं।	अनिवार्य
	पहचान का प्रमाण	छूट प्राप्त*	छूट प्राप्त*	अनिवार्य
	पते का प्रमाण	छूट प्राप्त*	छूट प्राप्त*	पत्र शीर्ष पर घोषणा*
	फोटोग्राफ	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त*
*बैंक खाता खोलते समय आवश्यक नहीं है। तथापि, संबंधित एफपीआई यह वचन दे सकते हैं कि विनियामकों/ विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मांग किए जाने पर संबंधित दस्तावेज़ बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।				

माह मई 2014 के दौरान जारी परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी. सं.112/07.51.018/2013-14	16.06.2014	विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए केवाईसी मानदंडों का सामंजस्य
2	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.111/07.51.018/2013-14	12.06.2014	पते के प्रमाण पर स्पष्टीकरण
3	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.97/07.51.018 /2013-14	25.04.2014	क्रॉस बार्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की एफआइएननेट गेटवे पर रिपोर्टिंग करना
4	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.92/07.51.018/2013-14	13.03.2014	ई-आधार (e-Aadhaar) को पीएमएल नियमावली के अंतर्गत "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" के रूप में मान्यता देना
5	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.75/07.51.018/2013-14	09.01.2014	पीएमएलए 2002 की धारा 13(2) में संशोधन
6	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.48/07.51.010/2013-14	29.10.2013	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 'सममूल्य पर' चेक सुविधा प्रदान करना
7	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.37/07.51.018/2013-14	18.09.2013	भारत में अध्ययन करनेवाले विदेशी छात्र
8	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.31/07.51.018/2013-14	16.09.2013	बैंक द्वारा ग्राहकों से मांगी जानी वाली सूचना
9	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.32/07.51.018/2013-14	10.09.2013	यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवा - धनशोधन निवारण नियमावली के अंतर्गत ऑन-लाइन आधार प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रक्रिया) को 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए मान्यता देना
10	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.84/07.51.018/2013-14	25.07.2013	केवाईसी को आवधिक रूप से अद्यतन करने के मानदंडों को सरल बनाना
11	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.76/07.51.018 /2012-13	04.06.2013	भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)
12	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.71/07.51.018/2012-13	01.04.2013	स्वयं सहायता समूहों के लिए मानदंडों का सरलीकरण
13	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.बीसी. सं.63/07.51.018/2012-13	30.01.2013	बैंक खातों का अन्य केंद्र पर अंतरण - पते का प्रमाण
14	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं. 59/07.51.018/2012-13	22.01.2013	लाभार्थी (हितार्थी) स्वामी की पहचान
15	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.आरसीबी.	13.12.2012	केवाईसी के दस्तावेजों का सरलीकरण

	एमएल.सं.6097/07.51.018/2012-13		
16	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.36/03.05.033(E)/2012-13	15.10.2012	एफआइएननेट गेटवे पर रिपोर्टों का अपलोड किया जाना
17	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.29/03.05.033(E)/2012-13	18.09.2012	फिन-नेट गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टों का अपलोड किया जाना
18	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24/ 07.38.01/2012-13	22.08.2012	वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता
19	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.82/03.05.033(E)/2011-12	11.06.2012	भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)
20	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.81/07.40.00/2011-12	11.06.2012	जोखिम संवर्गीकरण और ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) को अद्यतन करना
21	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.70/07.40.00/2011-12	18.04.2012	स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते
22	ग्राआक्रवि.कैका.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.52/07.40.00/2011-12	04.01.2012	अल-कायदा तथा तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों एवं संगठनों की यूएनएससी 1267 समिति की व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सूची को विभाजित करना
23	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.51/03.05.033(E)/2011-12	02.01.2012	अल-कायदा तथा तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों एवं संगठनों की यूएनएससी 1267 समिति की व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सूची को विभाजित करना
24	ग्राआक्रवि.कैका.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.50/07.40.00/2011-12	30.12.2011	जोखिम का मूल्यांकन तथा निगरानी
25	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.46/03.05.033(E)/2011-12	21.12.2011	जोखिम का मूल्यांकन तथा निगरानी
26	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.31/03.05.033(E)/2011-12	16.11.2011	चेकों / ड्राफ्टों / भुगतान आदेशों / बैंकर चेकों का भुगतान
27	ग्राआक्रवि.कैका.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.23/07.40.00/2011-12	17.10.2011	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एवं आधार संख्या के ब्यौरे दिए गए हैं
28	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.21/03.05.033(E)/2011-12	13.10.2011	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एवं आधार संख्या के ब्यौरे दिए गए हैं
29	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.15/03.05.033(E)/2011-12	08.08.2011	"अल्प खाता" खोलना
30	ग्राआक्रवि.कैका.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.63/07.40.00/2010-11	26.04.2011	"अल्प खाता" खोलना
31	ग्राआक्रवि.कैका.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.50/07.40.00/2010-11	02.02.2011	बैंकों द्वारा बुलियन डीलरों (उप डीलरों सहित) और ज्वेलरों के खातों को 'उच्च जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया जाना

			चाहिए
32	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.एमएल.बीसी. सं.46/03.05.033(E)/2010-11	12.01.2011	बैंकों द्वारा बुलियन डीलरों (उप डीलरों सहित) और ज्वेलरों के खातों को 'उच्च जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए
33	ग्राआक्रवि.कैका.आरसीबी.एमएल.बीसी. सं.39/07.40.00/2010-11	27.12.2010	बैंक खातों का परिचालन तथा धनशोधन के माध्यम बने व्यक्ति'
34	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.एमएल.बीसी. सं.40/03.05.033(E)/2010-11	24.12.2010	बैंक खातों का परिचालन तथा धनशोधन के माध्यम बने व्यक्ति'
35	ग्राआक्रवि.कैका.आरसीबी.एमएल.बीसी. सं.37/07.40.00/2010-11	10.12.2010	बैंक खाते खोलना - वेतनभोगी कर्मचारी
36	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.एमएल. बीसी.सं.31/03.05.033(E)/2010-11	06.12.2010	बैंक खाते खोलना - वेतनभोगी कर्मचारी
37	ग्राआक्रवि.कैका.आरएफ.एमएल.बीसी. सं.20/07.40.00/2010-11	13.09.2010	मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते
38	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.एमएल.बीसी. सं.19/03.05.033(E)/2010-11	09.09.2010	मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते
39	ग्राआक्रवि.कैका.आरएफ.एमएल.बीसी. सं.12/07.40.00/2010-11	20.07.2010	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव), दूसरी संशोधन नियमावली, 2010
40	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.एमएल.बीसी. सं.13/03.05.033(E)/2010-11	22.07.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
41	ग्राआक्रवि.कैका.आरएफ.एमएल.बीसी. सं.11/07.40.00/2010-11	20.07.2010	पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
42	ग्राआक्रवि.कैका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं. 89/ 07.40.00/2009-10	25.06.2010	व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले गए ग्राहक खाते
43	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.एमएल.बीसी. सं.87/ 03.05.033(E)/ 2009-10	23.06.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
44	ग्राआक्रवि.कैका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं. 88/07.40.00/2009-10	25.06.2010	एस टी आर दायर करना; पी ई पी और प्रधान अधिकारी
45	ग्राआक्रवि.कैका.आरआरबी.एमएल.बीसी. सं.86/03.05.033(E)/2009-10	21.06.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
46	ग्राआक्रवि.कैका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं.	14.05.2010	धनशोधन निवारण (मध्यवर्तियों के

	84/07.40.00/2009-10		अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2005 में संशोधन के लिए भारत सरकार की 12 फरवरी 2010 की अधिसूचना
47	ग्राआरूवि.केंका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं. 83/07.40.00/2009-10	12.05.2010	मलिकाना प्रतिष्ठानों द्वारा खाते खोलने के लिए जारी ग्राहक पहचान क्रियाविधि
48	ग्राआरूवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी. सं.67/03.05.033(E)/2009-10	09.04.2010	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते
49	ग्राआरूवि.केंका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं.59/ 07.40.00/2009-10	03.03.2010	धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के दायित्व
50	ग्राआरूवि.केंका.आरआरबी.एमएल. बीसी.सं.39/03.05.033(E)/2009-10	05.11.2009	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध - विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 - बैंकों के दायित्व
51	ग्राआरूवि.केंका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं.34/ 07.40.00/2009-10	29.10.2009	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध - विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 - बैंकों के दायित्व
52	ग्राआरूवि.केंका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं.28 /07.40.00/2009-10	30.09.2009	अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी मानदंड / धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध /पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
53	ग्राआरूवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.27/ 03.05.033(E)/2009-10	29.09.2009	अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी मानदंड / धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध /पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के दायित्व
54	ग्राआरूवि.केंका.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं. 81/07.40.00/2007-08	25.06.2008	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों का दायित्व
55	ग्राआरूवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.77/ 03.05.033(E)/2007-08	18.06.2008	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों का दायित्व
56	ग्राआरूवि.केंका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं.51/ 07.40.00/2007-08	28.02.2008	"अपने ग्राहक को जानिए"(केवाईसी) मानदंड / धनशोधन निवारण (एमएल)मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
57	ग्राआरूवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.50/ 03.05.033(E)/2007-08	27.02.2008	"अपने ग्राहक को जानिए"(केवाईसी) मानदंड / धनशोधन निवारण (एमएल)मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
58	ग्राआरूवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी. सं.98/03.05.028(ए)/2006-07	21.05.2007	वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
59	ग्राआरूवि.केंका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं. 96 /07.40.00/2006-07	18.05.2007	वायर अंतरण
60	ग्राआरूवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी. सं.68/03.05.033(E)/2005-06	09.03.2006	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - उसके अन्तर्गत अधिसूचित नियमों के

			अनुसार बैंकों का दायित्व
61	ग्राआऋवि.कैका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं. 65 /07.40.00/2005-06	03.03.2006	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - उसके अन्तर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों का दायित्व
62	ग्राआऋवि.कैका.आरआरबी.एएमएल.बीसी. सं.33/03.05.033(E)/2005-06	23.08.2005	"अपने ग्राहक को जलिए" - दिशनिर्देश धन शोधन निवारण मानदंड
63	ग्राआऋवि.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.30/ 07.40.00/2005-06	23.08.2005	"अपने ग्राहक को जलिए" - दिशनिर्देश धन शोधन निवारण मानदंड
64	ग्राआऋवि.एएमएल.बीसी.सं.80/07.40.00/ 2004-05	18.02.2005	"अपने ग्राहक को जलिए" - दिशनिर्देश धन शोधन निवारण मानदंड
65	ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं.81 /03.05.033(E)/2004-05	18.02.2005	"अपने ग्राहक को जलिए" - दिशनिर्देश धन शोधन निवारण मानदंड